रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2016/चैत्र 3, 1938
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2016/ CHAITRA 3, 1938

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016

सा.का.नि. 338(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 472(अ), तारीख 10 जून, 2015 के द्वारा प्रारूप ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2015 उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करते हुए, 10 जून, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 का.आ.1035(अ) तारीख 12 मई, 2011 के द्वारा भारत के राजपत्र भाग 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण को करने से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये 01 अक्तूबर, 2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - यह नियम अनुसूची I में सूचीबद्ध ई-अपशिष्ट या वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, उनके घटकों, उपभोज्य वस्तुओं और पार्ट और स्पेयर, जो उत्पाद को प्रचालनात्मक बनाते हैं, सहित, के विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, क्रय, संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण में लगे प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, उपभोक्ता, बड़े उपभोक्ता, संग्रहण केन्द्र, डीलर, ई-रिटेलर, रीफर्बिशर, भंजक और पुन:चक्रणकर्ता पर लागू होंगे और निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-

(क) अधिनियम के अधीन बनाए गए बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के अंतर्गत आने वाली प्रयोग की गई लीड एसिड बैटरियां;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित सूक्ष्म प्रतिष्ठान; और

(ग) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट।

3. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'अधिनियम' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्राधिकार' से ई-अपशिष्ट की उत्पत्ति, प्रहस्तन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, रीफर्बिश, भंजन, पुन:चक्रण, शोधन और निपटान के लिए निर्माता, भंजक रीफर्बिशर और पुन:चक्रणकर्ता को प्राप्त अनुज्ञा अभिप्रेत है;

(ग) 'बड़े उपभोक्ता' से वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के बड़े उपभोक्ता अभिप्रेत है, जैसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग, पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, बैंक, शैक्षिक संस्थान, बहुराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय अभिकरण और सार्वजनिक, प्राइवेट, भागीदारी कंपनियां जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63), कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, जिसका आवर्त एक करोड़ से अधिक तथा बीस कर्मचारियों से अधिक होते हैं, के अधीन पंजीकृत हैं;

(घ) 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) 'संग्रहण केन्द्र' से पुन:चक्रणकर्ता के ई-अपशिष्ट के व्ययन के लिए ई-अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उत्पादक द्वारा वैयक्तिक रूप से अथवा सामूहिक संस्था के रूप से स्थापित केन्द्र और/या संग्रहण स्थल अभिप्रेत है जो ऐसी भूमिका निभाता है और जो उत्पादक को प्रदत्त विस्तारित उत्पादक दायित्व के लिए प्राधिकार में निर्दिष्ट है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुविधाएं रखता हो। यह संग्रहण केन्द्र भंजक, रीफर्बिशर, पुन:चक्रणकर्ता की ओर से लावारिस उत्पादों से उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट सहित का भी संग्रह करेंगे। संग्रहण केन्द्र भंजक/रीफर्बिशर/ पुन:चक्रणकर्त्ता द्वारा भी, जहां सुविधा हो, स्थापित किए जा सकते हैं, जो उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का एक भाग होगा;

(च) 'संघटक' से उप समुच्चय या समुच्चय के भागों में से एक भाग जिससे कि निर्मित उत्पाद बना हो और जिसमें इसे विनियोजित किया जाए, अभिप्रेत है। संघटक के अंतर्गत दूसरे संघटक के अनुषंगी या संलग्नक शामिल हैं;

(छ) 'उपभोज्य' से उत्पादन प्रक्रिया अथवा वैद्युत और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के प्रचालन में शामिल अथवा आवश्यक कोई वस्तु और जो अंतिम उत्पाद का भाग हो अथवा न हो अभिप्रेत है। वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आंशिक अथवा पूर्णत: उपभोग होती हो उपभोज्य मानी जाएंगी;

(ज) 'उपभोक्ता' से बड़े उपभोक्ताओं को छोड़कर, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का उपयोग करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'प्रणालन' से संग्रहण पश्चात् आगे ई-अपशिष्ट के संचलन के लिए प्राधिकृत भंजक या पुन:चक्रणकर्ता को मार्ग निदेशित करना अभिप्रेत है। फलोरोसेंट और अन्य पारायुक्त लैम्पों के लिए, यदि पुन:चक्रणकर्त्ता उपलब्ध न हो निर्दिष्ट दिशा संग्रहण केन्द्र से शोधन, भंडारण और निस्तारण स्थल होगा;

(ञ) 'व्यौहारी' से किसी व्यक्ति या फर्म, जो इन नियमों की अनुसूची-I में यथा सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर अवयव/उपभोज्य/पार्ट/स्पेयर्स का उत्पादकों से विक्रय के लिए क्रय या प्राप्त करती है अभिप्रेत है;

(ट) 'निक्षेप प्रतिदाय स्कीम' से वह स्कीम जिसमें उत्पादक वैद्युत और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के विक्रय के समय अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करके जमा रखता है और उपभोक्ता को ब्याज सहित विद्युत और इलेक्ट्रानिक उपस्कर की अवधि समाप्त होने पर वापस किए जाने के समय लौटाता है, अभिप्रेत है;

(ठ) 'भंजक' से कोई व्यक्ति या संगठन जो प्रयुक्त विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का भंजन करके संघटकों को अलग करने की संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित दिशानिर्देश के अनुसार सुविधाओं को रखता हो और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत है, अभिप्रेत है;

(ड) 'व्ययन' से ऐसा प्रचालन अभिप्रेत है जिससे पुन:चक्रण, पुन:प्राप्ति या पुन:उपयोग नहीं करना हो और जिसके अंतर्गत सुरक्षित भूमि में भौतिक-रसायन या जैविक शोधन, भस्मीकरण तथा व्ययन शामिल हो;

(ढ) 'अवधि समाप्ति' से वह समय जब उत्पाद का प्रयोक्ता द्वारा त्याग किया जाए, अभिप्रेत है;

(ण) 'ई-अपशिष्ट' का पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन' से यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अपेक्षित उपाय करना अभिप्रेत है जिसमें ई-अपशिष्ट का प्रबंधन ऐसी रीति से किया जाता है जो ऐसे अपशिष्ट में अंतर्विष्ट खतरनाक पदार्थ के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी प्रतिकूल प्रभाव के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करे;

(त) 'वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर' से ऐसे उपस्कर अभिप्रेत हैं जो वैद्युत धारा पर आधारित हो या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में क्रियात्मक हो;

(थ) 'ई-फुटकर विक्रेता' से व्यष्टिक/कंपनी/व्यावसायिक संस्था जो अपनी सामग्री के विक्रय के लिए इलेक्ट्रानिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट, टेलिफोन आदि का प्रयोग करे, अभिप्रेत है;

(द) 'ई-अपशिष्ट' से अपशिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के उपभोक्ता/थोक उपभोक्ता द्वारा समग्र रूप या उनके भाग या उनके विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रिया से उत्पन्न अवशिष्ट अभिप्रेत है जिन्हें अपशिष्ट के रूप में अस्वीकृत किया जाना उद्दिष्ट हो;

(ध) 'ई-अपशिष्ट आदान-प्रदान' से इन नियमों के तहत प्राधिकृत अभिकरणों/संगठनों के वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की कार्य क्षमता की समाप्ति पर उत्सर्जित ई-अपशिष्ट की बिक्री और खरीद के लिए स्वतंत्र बाजार दस्तावेज प्रस्ताव सहायता या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली प्रस्ताव सेवाएं अभिप्रेत है।

(न) "विस्तारित उत्पादक दायित्व" (ईपीआर) से वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के किसी उत्पादक का दायित्व ऐसे अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ई-अपशिष्ट को देशा देना, विस्तारित उत्पादक के दायित्व में वापसी प्रणाली, कार्यान्वयन और/अथवा संग्रहण केन्द्रों की स्थापना तथा उत्पादन अथवा उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक दायित्व-प्राधिकार में उनके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उत्पादन दायित्व वाले संगठन के माध्यम से या तो वैयक्तिक रूप से अथवा सामूहिक रूप से प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रणकर्ता के साथ सहमत व्यवस्था हो, शामिल है।

(प) "ईपीआर-प्राधिकार" से क्रियान्वयन योजनाओं सहित विस्तारित, उत्पादक दायित्व के प्रबंधन के लिए एक उत्पादक को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति और उत्पादक दायित्व संगठन (पीआरओ) के विवरण सहित ऐसे अधिप्रमाणन में रूपरेखित लक्ष्य, और ई-अपशिष्ट आदान-प्रदान, यदि लागू हो, अभिप्रेत है;

(फ) "ईपीआर प्राधिकार योजना" से किसी उत्पादक द्वारा 'ईपीआर प्राधिकार' हेतु आवेदन करते समय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किसी योजना जिसमें कोई उत्पादक, उत्पादक दायित्व संगठन के विवरण सहित लक्षित संग्रहण हेतु ई-अपशिष्ट दिशाकरण प्रणाली का विवरण् और ई-अपिशष्ट विनियमन, यदि लागू हो, तो उपलबध कराएगा, अभिप्रेत है;

(ब) "सुविधा" से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां ई-अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, नवीनीकरण, भंजन, पुन:चक्रण, शोधन और निपटान की आनुषंगिक प्रक्रियाओं को किया जाता है;

(भ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

IndiaCode

(म) "ऐतिहासिक ई-अपशिष्ट" से अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर से उत्पन्न ई-अपशिष्ट अभिप्रेत हैं जो इन नियमों के लागू होने की तारीख को उपलब्ध थे;

(य) "विनिर्माता" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था या कंपनी कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम द्वारा परिभाषित कोई कारखाना, जिसके पास वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण की सुविधा है, अभिप्रेत है;

(कक) "लावारिस उत्पादों" से अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट गैर ब्रांड के या संयोजित वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर या किसी ऐसी कंपनी द्वारा उत्पादित उपस्कर अभिप्रेत है जिसने अपना प्रचालन बंद कर दिया हो;

(खख) "भाग" से किसी उप-समुच्चय अथवा समुच्चय का एक अंश जो सामान्यत: या स्वत: उपयोगी नहीं होता तथा अनुरक्षण प्रयोजनों के लिए जो आगे समुच्चययोग्य न हो, अभिप्रेत है, यह एक अंश एक अवयव, स्पेयर अथवा एक अनुषंगी हो सकता है।

(गग) "उत्पादक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने बिक्री के लिए किसी तकनीक के निरपेक्ष व्यौहारी, प्रतिधारक ई-प्रतिधारक आदि जैसे का उपयोग किया हो;

(i) जो अपने स्वयं के ब्रांड के अंतर्गत वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर और उनके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/ अतिरिक्त पुर्जों का विनिर्माण और उनकी बिक्री के लिए प्रस्थापना करता है; या

(ii) जो अपने स्वयं के ब्रांड के अंतर्गत किए गए अन्य विनिर्माताओं अथवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित संयोजित वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर और उनके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/ अतिरिक्त पुर्जों की बिक्री का प्रस्थापना करता हो;

(iii) जो आयातित वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर तथा उनके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/स्पेयर्स की बिक्री का प्रस्थापना करता हो;

(घघ) "उत्पादक दायित्व संगठन" से उत्पादकों द्वारा सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्राधिकृत या वित्तपोषित वृतिक संगठन अभिप्रेत है, जो उनके उत्पादों के 'जीवन के अंत' से उत्पन्न ई-अपशिष्ट के संग्रहण और निर्दिष्ट दिशा देने के लिए दायित्व ले सकता हो ताकि ऐसे अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

(ङङ) "पुन:चक्रणकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपशिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर अथवा संयोजनों अथवा उनके संघटक के पुन:चक्रण अथवा प्रसंस्करण में लगा हो और जिसके पास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों में यथा वर्णित सुविधाएं हों;

(चच) "नवीनीकरण", से अपनी मूल उद्दिष्ट सीमा तक प्रयोग के लिए इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए और इनको बाज़ार में बेचने या मालिक को वापस करने के लिए अनुसूची I में यथा सूचीबद्ध प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की मरम्मत करना अभिप्रेत है;

(छछ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'नवीनीकरणकर्ता' से प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नवीकरण में लगी कारखाना अधिनियम, 1948 और/अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत और/अथवा जिला उद्योग केन्द्र से जुड़ी किसी कंपनी/उपक्रम से अभिप्रेत है;

(जज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(झझ) "स्पेयर्स" से प्रतिस्थापन हेतु एक भाग अथवा एक उप-समुच्च्य अथवा समुच्चय से अभिप्रेत है जो एक समरूप अथवा समान भाग अथवा उप-समुच्चय अथवा समुच्चय को बदले जाने के लिए तैयार है;

(ञञ) "संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(टट) "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन गठित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है;

(ठठ) 'लक्ष्य' विस्तारित उत्पादक दायित्व की पूर्ति के लिए उत्पादक द्वारा संग्रहण की जाने वाली ई-अपशिष्ट मात्रा है;

(डड) "परिवाहक" से ऐसा व्यक्ति कंपनी/संस्था अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति/कंपनी/संस्था जिसने परिवहन किए जा रहे ई-अपशिष्ट के स्रोत, गंतव्य और मात्रा की जानकारी परिवाहक को देते हुए परिवाहक को ई-अपशिष्ट सौंप दिया है, द्वारा जारी किसी मालसूची प्रणाली धारक जो वायु, रेल, सड़क या जल मार्ग द्वाराई-अपशिष्ट के स्थल से दूर परिवहन कार्य में लगा हुआ हो;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

उत्तरदायित्व

4. विनिर्माता के उत्तरदायित्व -

(1) किसी वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिमार्ण के दौरान सृजित ई-अपशिष्ट का संग्रहण और उसके पुन:चक्रण या निपटान के लिए निर्दिष्ट दिशा देना;

(2) नियम 13 के उप-नियम (2) के अधीन प्रक्रिया के अनुसरण में, संबंधित, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो प्ररूप 1 (खख) के अनुसार प्राधिकार प्रदान करेंगे, से प्ररूप 1 (क) के अनुसार प्राधिकार प्राप्त करेगा;

(3) यह सुनिश्चित करेगा कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान न हो;

(4) प्ररूप 2 मे सृजित, हथालन किए गए और निपटान किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और ऐसे अभिलेखों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संवीक्षा के लिए उपलब्ध करेगा;

(5) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, की पश्चातवर्ती 30 जून या उससे पूर्व प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।

5. उत्पादक के उत्तरदायित्व - अनुसूची I सूचीबद्ध वैद्युत या इलेक्ट्रौनिक उपस्कर का उत्पादक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :-

(1) विस्तारित उत्पादक दायित्व के क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे में करना, अर्थात् :-

(क) अपने उत्पादों की 'कार्य क्षमता की समाप्ति' या 'कार्यक्षमता समाप्ति' वाले अपने उत्पादों के समान निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अनुसूची I के अनुसार वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर कोड वाले उत्पादों की 'कार्य क्षमता की समाप्ति' के कारण उत्पन्न ई-अपशिष्ट का 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' (ईपीआर) अनुसूची III में निर्धारित लक्ष्यों की आधार के अनुरूप संग्रहण और निर्दिष्ट दिशा देगा;

(ख) 'कार्य क्षमता की समाप्ति' वाले उत्पादों से तथा उनके सेवा केन्द्रों से प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रणकर्ता को जाने वाले उन उत्पादों से ई-अपशिष्ट की निर्दिष्ट दिशा हेतु प्रयुक्त तंत्र विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार के अनुरूप होंगे, अपशिष्ट फ्लूरेसेंट और अन्य पारा वाले लैम्पों के लिए यदि पुन:चक्रणकर्ता उपलब्ध न हों तो निर्दिष्ट दिशा संग्रहण केन्द्र से शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा होगी;

(ग) शोधन, भंडारण और व्ययन सुविधा हेतु पारा को गतिहीन करना तथा निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट के परिमाण को कम करने के लिए पूर्व-शोधन आवश्यक है;

(घ) विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार में पूर्व में बाजार में लाए गए वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के संग्रहण की साधारण स्कीम शामिल होगी जैसे व्यौहारी, संग्रहण केन्द्रों, उत्पादक दायित्व संगठन के माध्यम से, खरीद वापसी व्यवस्था के माध्यम से, आदान-प्रदान स्कीम, जमा वापसी प्रणाली आदि

IndiaCode

के जरिए सीधे अथवा किसी प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से और प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ताओं से इस प्रकार संग्रहित मदों को निर्दिष्ट दिशा देना।

(ङ) उपभोक्ताओं या बड़े उपभोक्ताओं को उनके वेबसाइट तथा प्रयोक्ता प्रलेखन के जरिए पता, ई-मेल पता, टॉल फ्री दूरभाष संख्या या हेल्पलाइन नम्बरों जैसे संपर्क ब्यौरा उपलब्ध कराना ताकि प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर को लौटाने में सुविधा हो;

(च) निम्नलिखित के संबंध में मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संसूचन के किसी अन्य साधन द्वारा और उपस्करों के साथ उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना;

(i) पता, ई-मेल पता, टॉल फ्री दूरभाष संख्या अथवा हेल्पलाइन संख्या तथा वेबसाइट से संबंधित सूचना;

(ii) नियम 16 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में खतरनाक संघटकों संबंधी सूचना;

(iii) ई-अपशिष्ट के अनुचित हथालन, निपटान, दुर्घटना स्वरूप टूटफूट, क्षति और/अथवा अनुपयुक्त पुन:चक्रण के खतरों के संबंध में सूचना;

(iv) यह करें या यह न करें के साथ इसके उपयोग के बाद उपस्कर के हथालन और निपटान के बारे में अनुदेश;

(v) उत्पादों या उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन पर नीचे दिए अनुसार कोई दृश्यमान, पठनीय और अमिट प्रतीक चिन्ह चिपकाना और निपटान के लिए निर्धारित अपशिष्ट से भरे कूड़ेदानों में ई-अपशिष्ट को डाले जाने से रोकने के लिए सूचना पुस्तिकाएं;



(vi) पुन:चक्रण के लिए ई-अपशिष्ट की वापसी के लिए अपने उपभोक्ताओं को साधन और कार्यविधि उपलब्ध कराना जिसमें जमा वापसी स्कीम के विवरण, यदि लागू हों, भी शामिल हैं।

(छ) उत्पादक वैयक्तिक या सामूहिक रूप से विस्तारित उत्पादक दायित्व को क्रियान्वित करने का चयन करेगा । वैयक्तिक उत्पादक दायित्व में उत्पादक अपने स्वयं के संग्रहण केन्द्र स्थापित कर सकता है तथा/या विस्तारित उत्पादक दायित्व की पूर्ति के लिए वापसी प्रणाली कार्यान्वित कर सकता है। सामूहिक प्रणाली में उत्पादक, उत्पादक दायित्व संगठन के साथ एक सदस्य के रूप में तथा/या ई-अपशिष्ट के अदान-प्रदान की मौजूदगी में जुड़ सकते हैं । किसी भी मामले में वैयक्तिक उत्पादक प्ररूप 1 और नियम 13(1) के उप नियम (1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ईपीआर-प्राधिकार प्राप्त करेगा;

(2) जमा प्रतिदाय स्कीम को प्राधिकृत भंजकों/पुन:चक्रणकर्ताओं को कार्य क्षमता समाप्ति वाले उत्पादों और उनको निर्दिष्ट दिशा देने के लिए संग्रहण को सुनिश्चित करने की ऐसी एक स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में शामिल करना;

परंतु उत्पादक उपभोक्ता/बड़े उपभोक्ता से ली गई उस जमा राशि को, उत्पाद की कार्य क्षमता समाप्ति पर जमा अवधि के लिए प्रचलित दर पर ब्याज सहित वापस करेगा;

(3) वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के आयात की अनुज्ञा उन्हीं उत्पादकों को दी जाएगी जिनके पास उत्पादक दायित्व प्राधिकार हो;

(4) प्रहस्तन किए गए ई-अपशिष्ट का प्ररूप 2 में अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा;

IndiaCode

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जून के 30वें दिन को या इससे पहले उस वित्तीय वर्ष के बाद जिससे कि यह विवरणी संबंधित हो, प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा। यदि उत्पादक के किसी राज्य में कई कार्यालय हों तो सभी कार्यालयों से सूचना लेकर एक वार्षिक विवरणी फाइल की जायेगी;

(6) उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररुप 1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इसके बाद प्ररुप (कक) में विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार प्रदान करेगा;

(7) किसी उत्पादन द्वारा उत्तरदायित्व प्राधिकार के बिना प्रचालन जैसा कि नियम में परिभाषित है, पर्यावरण के हानि पहुंचाने वाला कार्य समझा जा सकता है;

6. संग्रहण केन्द्रों के उत्तरदायित्व -

(1) उत्पादक या भंजक या पुन:चक्रणकर्ता या नवीकरणकर्ता में पक्ष में लावारिस उत्पादों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों सहित ई-अपशिष्ट का संग्रहण;

परंतु उत्पादक द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्र भी भंजक, नवीकरणकर्ता और पुन:चक्रणकर्ताओं की ओर से लावारिस उत्पादों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों सहित ई-अपशिष्ट का संग्रहण कर सकते हों।

(2) यह सुनिश्चित करेंगे कि सुविधाएं समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों या जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं;

(3) उनके द्वारा संग्रहण किए गए ई-अपशिष्ट का भंडारण सुरक्षित रीति में तब तक किया जाए जब तक उसे, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत भंजक या पुन:चक्रक को न भेजा जाए;

(4) यह सुनिश्चित करेंगे कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे;

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार हथालन किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेखों का प्ररूप-2 में अनुरक्षण करेगा और ऐसे अभिलेखों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जब भी कहा जाए, संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगे ।

7. व्यौहारियों के उत्तरदायित्व - (1) यदि व्यौहारी को उत्पादक के रूप में संग्रहण करने का दायित्व दिया गया हो तो व्यौहारी उपभोक्ता को ई-अपशिष्ट जमा करने के लिए बॉक्स, बिन या वापसी प्रणाली द्वारा एक निर्दिष्ट क्षेत्र उपलब्ध कराएगा तथा इस प्रकार संग्रहण किए गए ई-अपशिष्ट को उत्पादक द्वारा अभिहित संग्रहण केन्द्र/भंजक/पुन:चक्रणकर्ता को भेजा जाएगा;

(2) व्यौहारी/प्रतिधारक/ई-प्रतिधारक ई-अपशिष्ट के जमाकर्ता को उत्पादक की वापसी प्रणाली/जमा वापसी स्कीम के अनुसार धनराशि को वापस करेगा।

(3) प्रत्येक व्यौहारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार सृजित ई-अपशिष्ट का, यथास्थिति, उत्पादक या रजिस्ट्रीकृत संग्रहण केन्द्र को वापस सुरक्षित परिवहन किया जाए ।

(4) यह सुनिश्चित किए जाए कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे।

8. नवीनीकरण करने वाले का दायित्व. - (1) प्रत्येक नवीनीकरण करने वाला नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट का संग्रहण करेगा और इस अपशिष्ट को इसके संग्रहण केन्द्र के माध्यम से प्राधिकृत भंजक या पुनर्चक्रक को निर्दिष्ट दिशा में भेजेगा;

(2) प्रत्येक नवीनीकरण करने वाला एक बारगी प्राधिकार प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियम 13 के उप नियम (4) में निर्धारित प्रक्रिया के अधिकथित प्ररूप 1(क) में आवेदन करेगा;

(क) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक बारगी रजिस्ट्रीकरण के आधार पर नवीनीकरण करने वाले का प्ररूप 1(खख) के अनुसार पंजीकरण करेगा और यदि तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेपित न हो तो रजिस्ट्रीकरण हुआ समझा जाएगा;

(ख) प्राधिकृत नवीनीकरण करने वाले के लिए अपेक्षित है कि वह वार्षिक आधार पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट का ब्यौरा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करेगा;

(3) यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे;

(4) यह सुनिश्चित करना कि नवीकरण प्रक्रिया से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(5) प्रत्येक व्यौहारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार सृजित किया गया ई-अपशिष्ट का प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों या भंजकों को परिवहन किया जाए।

(6) प्रत्येक व्यौहारी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के 30 जून को या उससे पूर्व प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।

(7) प्रत्येक व्यौहारी हथालन किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेख प्ररूप 2 में अनुरक्षित करेगा और ऐसे अभिलेखों को समुचित प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।

9. उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता के उत्तरदायित्व. - (1) अनुसूची-I में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न ई-अपशिष्ट को संग्रहण केन्द्र या उत्पादक का प्राधिकृत या भंजक या पुन:चक्रक के माध्यम से निर्दिष्ट दिशा में पहुंचाया जा रहा है या उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई उद्ग्राहक या वापस लेने वाली सेवाओं के माध्यम से प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रकर्ता को लौटाया जा रहा है;

(2) अनुसूची-I में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रानिक के बड़े उपभोक्ता प्ररूप-2 में उनके द्वारा उत्पन्न ई-अपशिष्ट का अभिलेख रखेंगे और ऐसे अभिलेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगे;

(3) अनुसूची-I में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता यह सुनिश्चित करे कि ऐसे वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों की कार्य क्षमता की समाप्ति पर उसके अपशिष्ट के साथ उनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों के अधीन आने वाली रेडियोधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट न हो;

(4) अनुसूची-I में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रानिक के बड़े उपभोक्ता वार्षिक विवरणी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्ररूप 3 में वित्त वर्ष, जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, के बाद वाली 30 जून को या उससे पहले फाइल करेगा। यदि बड़े उपभोक्ता के राज्य में बहुत कार्यालय हैं तो सभी कार्यालयों की सम्मिलित सूचना की एक विवरणी संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड को वित्त वर्ष जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, 30 जून को या उसके पश्चात् फाइल की जाएगी।

10. भंजक के उत्तरदायित्व. - (1) प्रत्येक भंजक यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा और भंजन प्रक्रिया, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित मानकों या दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी;

(2) नियम 13 उप नियम (3) के अधीन प्रक्रिया के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभिप्राप्त करना;

(3) यह सुनिश्चित करेगा कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण की कोई क्षति न हो;

(4) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजन प्रक्रियाओं का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(5) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजित ई-अपशिष्ट को सामग्रियों की पुन:प्राप्ति के लिए पृथक किया जाए और प्राधिकृत पुन:चक्रण सुविधाओं को भेज दिया जाए;

(6) यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-पुन:चक्रण योग्य या गैर-पुन:प्राप्ति योग्य संघटकों को प्राधिकृत शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधाओं को भेज दिया जाए;

(7) संग्रहित, भंजित ई-अपशिष्ट प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ता को भेजे जाने के अभिलेख का प्ररूप 2 में रखा जाना और ऐसे अभिलेख को संवीक्षा के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलावा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए;

(8) प्ररूप 3 में विवरणी, यथास्थिति, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के पश्चातवर्ती 30 जून को या उससे पहले फाइल करेगा;

IndiaCode

(9) सामग्री की पुन:प्राप्ति या परिष्करण के लिए किसी ई-अपशिष्ट का प्रसंस्करण तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह सामग्रियों के परिष्करण और पुन:प्राप्ति के लिए पुन:चक्रणकर्ता के रूप में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राधिकृत नहीं हो;

(10) किसी भंजक द्वारा बिना प्राधिकार के प्रचालन भी, जैसा कि इस नियम में परिभाषित है, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला माना जाएगा;

11. पुन:चक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व - (1) पुन:चक्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा और पुन:चक्रण प्रक्रियाएं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानकों या दिशा-निर्देशों के अनुसरण में है;

(2) नियम 13 के उप नियम (3) के अंतर्गत क्रियाविधि के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करेगा;

(3) यह सुनिश्चित किया जाना कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे;

(4) यह सुनिश्चित हो कि पुन:चक्रण प्रक्रिया के चलते स्वास्थ्य और पर्यावरण में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण के लिए सभी अभिलेख उपलब्ध कराएगा;

(6) यह सुनिश्चित हो कि प्रभंजन/सामग्री का पुन:चक्रण इसकी सुविधा में न हो उसे संबंधित प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ता को भेजा गया है;

(7) सुनिश्चित करेगा कि पुन:चक्रण प्रक्रिया के उत्सर्जित अवशिष्ट का निपटान एक प्राधिकृत साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन भंडारण व्ययन सुविधा में किया जाए;

(8) संग्रहित, भंजित, पुन:चक्रित ई-अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ता को भेजने का अभिलेख प्ररुप 2 में रखा जाए और ऐसे अभिलेख को संवीक्षा के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए;

(9) यथास्थिति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसा मामला हो, को वित्तीय वर्ष, जिससे यह विवरणी संबंधित हो, के बाद वाली 30 जून को या उससे पहले प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा ।

(10) पुन:चक्रण के लिए अनुसूची-I में सूचीबद्ध न किए गए अपशिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या घटकों को स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि उनमें कोई रेडियाधर्मिता सामग्री सन्निहित न हो और इसका उल्लेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करते समय किया जाएगा;

(11) इस नियम में परिभाषित अनुसार किसी पुन:चक्रणकर्ता के प्राधिकार के बिना प्रचालन को पर्यावरणीय क्षति के रूप में माना जाएगा;

(12) ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकार का दायित्व-(1) विद्यमान तथा तैयार हो रहे औद्योगिक पार्क, सम्पदा तथा औद्योगिक समूहों में ई-अपशिष्ट के भंजन और पुन:चक्रण के लिए औद्योगिक स्थान या शेड निर्धारण अथवा आवंटन सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य में उद्योग विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई उप सरकारी अभिकरण होगा;

(2) निम्नलिखित के लिए किसी राज्य में श्रम विभाग या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण होगा :

क. भंजन तथा पुन:चक्रण में लगे कर्मकारों को मान्यता देना और उनका रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना;

ख. भंजन सुविधाओं की स्थापना सुगम बनाने के लिए ऐसे कर्मकारों के समूहों बनाने में सहायता;

ग. भंजन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मकारों के लिए औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप शुरू करना;

घ. भंजन और पुन: चक्रण में शामिल कर्मकारों की वार्षिक निगरानी और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुनिश्चितता।

(3) राज्य सरकार इन उपाबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समेकित योजना तैयार करेगी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

IndiaCode

अध्याय 3

ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्राधिकार प्राप्त और प्रदान करने की प्रकिया

13. प्राधिकार प्राप्त और प्रदान करने की प्रक्रिया.-

(1) **विस्तारित उत्पादक दायित्व - उत्पादकों का प्राधिकार.-** (i) अनुसूची I में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का प्रत्येक उत्पादक प्राधिकार की प्राप्ति के लिए एक राज्य में अपने उत्पाद की बिक्री के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अथवा एक से अधिक राज्य में अपने उत्पाद की बिक्री के मामले में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप में इन नियमों के लागू होने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ईपीआर-प्राधिकार हेतु प्ररूप 1 में आवेदन करेगा;

(ii) सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन प्राप्ति होने पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईपीआर योजना के मूल्यांकन के पश्चात् ऐसी जांच-पड़ताल जैसा कि अनिवार्य समझा जाए और इस बात पर समाधान होने के बाद कि निर्माता ने देश में विस्तारित उत्पादक दायित्व का प्रबंधन करने के लिए प्रभावी प्रणाली को विस्तारपूर्वक बतलाया है, एक सौ बीस तारीख की अवधि के भीतर प्ररूप 1 (कक) में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईपीआर-प्राधिकार प्रदान करेगा। ईपीआर-प्राधिकार आरंभिक रूप से पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

इस प्राधिकार में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष के दौरान संग्रहीत किए जाने वाले ई-अपशिष्ट उत्पाद कूट-वार की लक्षित मात्रा सम्मलित होगी। भंजन/पुन:चक्रण के लिए ई-अपशिष्ट के संग्रहण के लिए वास्तविक लक्ष्य का विगत वर्षों में बाजार में लाए गए वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा, उत्पाद कूट-वार और उपकरणों की औसत मियाद पर विचार करते हुए निर्धारण किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान सृजित ई-अपशिष्ट की प्राक्कलित मात्रा उत्पादक द्वारा बताई जाएगी और उत्पादक द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित संग्रहण स्कीम के साथ संग्रहीत अनुमानित मात्रा विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में बताई जाएगी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुसूची III के अनुसरण में लक्ष्य निर्धारित करेगा।

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् ईपीआर-प्राधिकार देने से से इंकार करेगा।

(iv) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईपीआर-प्राधिकार से मना करने की स्थिति में बाजार में किसी भी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को प्रस्तुत करने का उत्पादक का अधिकार समाप्त हो जाएगा जब तक कि ईपीआर-प्राधिकार प्रदत्त न किया जाए।

(v) ईपीआर-प्राधिकार प्रदत्त करने के पश्चात् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईपीआर-प्राधिकार को निगरानी हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

(vi) ईपीआर-प्राधिकार नवीकरण के लिए इसके समाप्त होने के एक सौ बीस दिन से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 1 में आवेदन किया जाएगा। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुपालन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर प्राधिकार को पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका नवीकरण कर सकता है और इस शर्त के अध्यधीन कि अधिनियम के उपबंधों अथवा अंतर्गत बनाए गए नियम और जो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या ईपीआर में निर्दिष्ट शर्तों के उपाबंधों के उल्लंघन न होने की सूचना के अध्यधीन मामले को गुणागुण के आधार पर जांच करने के पश्चात् ईपीआर का नवीकरण कर सकता है;

(vii) अनुसूची I में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के प्रत्येक उत्पादक, जब भी अपेक्षित हो, ईपीआर-प्राधिकार में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने के लिए सभी कदम उठाएगा;

(viii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईपीआर-प्राधिकार अनुपालन की निगरानी करेगा और अनुपालन के किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा तथा यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।

(ix) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यों ही जांच करेगा और उसकी राय में यदि ईपीआर-प्राधिकार धारक प्राधिकार की किन्हीं शर्तों या अधिनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा इन नियमों के अनुपालन में असफल रहा हो तो उसे सुनवायी का उचित अवसर देकर और लिखित में उसके कारणों को अभिलेख करने के पश्चात् इन नियमों के अंतर्गत जारी ईपीआर- प्राधिकार को जन हित में ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक समझा जाए रद्द अथवा निलंबित कर सकता है और रद्द करने के दस दिन के भीतर संबंधित राजय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।

(x) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय रूप से अंतर्गत अनुकूल ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त ईपीआर-प्राधिकार का एक ऑनलाइन रजिस्टर का रख-रखाव करेगा जो देश के किसी भी नागरिक तक अभिगम होगा।

(xi) इस नियम के उपबंध के अंतर्गत प्राधिकृत उत्पादक प्ररूप 2 में अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वर्ष के 30 जून या उससे पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 3 में गत वर्ष के अपने कार्यकलापों की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

(2) **विनिर्माता का प्राधिकार.-** (i) ई-अपशिष्ट सृजित करने वाले विनिर्माता को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रदूषण नियंत्रण समितियों से प्राधिकार अभिप्राप्त करना होगा;

(ii) विनिर्माता प्राधिकार की स्वीकृति के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 1(क) में इन नियमों के लागू होने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन करेगा;

(iii) प्राधिकार के लिए सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति होने पर, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी जांच-पड़ताल, जैसा कि आवश्यक समझा जाए और इस बात पर संतुष्ट होने पर कि आवेदक प्राधिकृत स्थल में सुरक्षित प्रचालनों को क्रियान्वित करने के लिए आवेदक को प्ररूप 1(खख) में प्राधिकार के एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर ई-अपशिष्ट के सुरक्षित हथालन के लिए समुचित सुविधाओं, तकनीकी क्षमताओं और उपकरण से युक्त हो, को मंजूरी दे सकते हैं जो पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा;

(iv) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी प्राधिकार की स्वीकृति देने से इंकार कर सकते हैं;

(v) इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप 2 में उनके द्वारा हथालन किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेख का रख-रखाव करेगा और वित्तीय वर्ष, जो विवरणी से संबंधित है, के बाद 30 जून को अथवा इससे पहले प्ररूप 3 में उल्लिखित ब्यौरों से युक्त एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा;

(vi) प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के एक सौ बीस दिन के पूर्व प्ररूप 1(क) में पांच वर्ष के लिए किया जाएगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड योग्यता के आधार पर प्रत्येक मामले की जांच करने के पश्चात् तथा इस शर्त के अध्यधीन कि अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट ना हो, प्राधिकार को नवीकृत कर सकते हैं;

(vii) विनिर्माता, प्राधिकार में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने के लिए सभी कदम उठाएगा।

(viii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन के लिए इन नियमों के अंतर्गत अधिरोपित शर्तों के विवरणों से युक्त एक ऑनलाइन पंजी का अनुरक्षण करेंगे और जो देश के किसी भी नागरकि को अभिगम होंगे।

3. **भंजक या पुन:चक्रणकर्ता को भंजन/पुन:चक्रण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करने की प्रक्रिया.-** (i) ई-अपशिष्ट का प्रत्येक भंजक अथवा पुन:चक्रक, पंजीकरण की स्वीकृति अथवा नवीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सहित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन प्रतियों में प्ररूप 4 में इन नियमों के लागू होने की तिथि से शुरू होने वाले एक सौ बीस दिन की अवधि में आवेदन करेगा, अर्थात:-

(क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत स्थापना के लिए सम्मति;

(ख) इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र;

(ग) इस ओर से जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी संयंत्र तथा मशीनरी की संस्थापित क्षमता का सबूत;

(घ) नवीकरण के मामले में, इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पदनामित किसी अन्य अभिकरण से इस प्रयोजन के लिए बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानकों के अनुपालन, खतरनाक अपशिष्टों के शोधन तथा निपटान का प्रमाण-पत्र;

परंतु इन नियमों के लागू होने की तारीख से पूर्व खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन तथा सीमा पारीय संचलन) नियम, 2008 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 के उपबंधों के अंतर्गत प्राधिकृत/रजिस्ट्रीकरण किसी व्यक्ति के ऐसे प्राधिकार/रजिस्ट्रीकृत की समाप्ति की अवधि तक प्राधिकार/रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं होगा;

(ii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समाधान होने पर कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और यह कि आवेदक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित मार्गदर्शी के अनुपालन में पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है और भंजन/पुन:चक्रण के लिए पर्याप्त तकनीकी क्षमताओं, अपेक्षित सुविधाओं तथा उपस्कर से संपन्न हो और ई-अपशिष्ट संसाधित करता हो, को केवल प्राधिकार स्थल में सुरक्षित प्रचालनों के क्रियान्वयन हेतु जैसा भी अनिवार्य समझा जाए, इसमें अनिवार्य शर्तों को निर्धारित करते हुए और स्थल निरीक्षण द्वारा ऐसे आवेदकों को प्राधिकार की स्वीकृति दे सकता है;

(iii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी प्रकार से पूर्ण ऐसे आवेदन की प्राप्ति होने की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकार के लिए आवेदन का व्ययन करेगा;

(iv) इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत प्राधिकार इसके जारी होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसके साथ बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति होगी जिसमें ई-अपशिष्ट के भंजन या पुन:चक्रण की सुविधाओं की पर्याप्तता और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी का अनुपालन इंगित किया गया हो;

(v) यदि यह करने का कारण है कि प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रक जो रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्तों अथवा अधिनियम के किसी उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, भंजक/पुन:चक्रक की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और इसके कारणों को दर्ज करने के पश्चात्, अनुपालन करने में असफल होता है तो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नियमों के अंतर्गत स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण को इंकार, निरस्त अथवा निलंबित कर सकता है;

(vi) प्राधिकरण के नवीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के एक सौ बीस दिन के भीतर प्ररूप 4 में किया जाएगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड योग्यता के आधार पर प्रत्येक मामले में और इस शर्त के अध्यधीन कि अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा प्राधिकार में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट न हो, की जांच करने के पश्चात् प्राधिकार को पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकते हैं;

(vii) भंजक अथवा पुन:चक्रक खरीदे और प्रसंस्कृत किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और प्रति वर्ष 30 जून को अथवा इससे संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 2 में विगत वर्ष के इसके कार्यकलापों का वार्षिक विवरणी प्ररूप 3 में प्रस्तुत करेगा;

(viii) केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समय-समय पर भंजन/पुन:चक्रण प्रक्रियाओं के लिए निष्पादन के लिए मानकों हेतु दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं;

4. **नवीनीकरणकर्ता को प्राधिकार प्रदत्त करने की पद्धति.-** (i) ई-अपशिष्ट का प्रत्येक नवीकरणकर्ता इन नियमों के लागू होने की तिथि से आरंभ होकर एक सौ बीस दिन की अवधि में प्राधिकार प्रदत्त किए जाने अथवा नवीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन प्रतियों में प्ररूप 1(क) में आवेदन करेगा, अर्थात:-

(क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अधीन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्थापित करने की सम्मति;

(ख) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जिसे इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्र अथवा किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा जारी किया गया हो;

(ग) संयंत्र और मशीनरी की संस्थापित क्षमता का सबूत जिसे इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्र या किसी अन्य सरकारी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा जारी किया गया हो;

(ii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन सहित सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन से समाधान होते हुए किसी प्राधिकृत स्थान में ही नवीनीकरण कार्यकलापों को किए जाने के लिए यथोचित आवश्यक शर्तों को ऐसे आवेदनों पर अनुबंधित करते हुए प्ररूप 1 (खख) में एक बारगी प्राधिकार प्रदत्त कर सकता है;

(iii) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी प्रकार से पूर्ण ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकार देने के लिए आवेदन का निपटान करेगा;

(iv) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यदि यह विश्वास करने के कारण हों कि नवीकरणकर्ता प्रदत्त प्राधिकार की किसी शर्त अथवा अधिनियम में किन्हीं उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में असफल रहा हो तो उसे सुनवाई का

एक अवसर प्रदान करते हुए और कारण रिकॉर्ड करने के पश्चात् इन नियमों के तहत प्रदत्त-प्राधिकार से इंकार कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है अथवा निलंबित कर सकता है;

(v) नवीनीकरणकर्ता प्ररूप 2 में खरीदे गए नवीनीकृत ई-अपशिष्ट के अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून को अथवा उससे पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररुप 3 में विगत वर्ष की अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

14. **प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने की शक्ति.-** (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि अपनी राय में पाये कि प्राधिकारधारक अथवा विनिर्माता या भंजक या पुन:चक्रणकर्ता या नवीनीकरणकर्ता प्राधिकार की किन्हीं भी शर्तों या अधिनियम के उपाबंधों या इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो सुनवाई का समुचित अवसर देने और लिखित में इसके कारणों को दर्ज करने के बाद इन नियमों के अंतर्गत जारी प्राधिकार को ऐसी अवधि तक रद्द कर सकता है जिसे वह जनहित में आवश्यक समझता हो और रद्द किए जाने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी सूचना देगा।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि अपनी राय में पाये कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व - प्राधिकारधारक प्राधिकार की किन्हीं भी शर्तों या अधिनियम के उपाबंधों या इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो सुनवाई का समुचित अवसर देने और लिखित में इसके कारणों को दर्ज करने के बाद इन नियमों के अंतर्गत जारी विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार को ऐसी अवधि तक रद्द कर सकता है जिसे वह जनहित में आवश्यक समझता हो और रद्द किए जाने के दस दिन के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को इसकी सूचना देगा।

(3) प्राधिकार को निलंबित या रद्द किए जाने पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन व्यक्तियों, जिनके प्राधिकार निलंबित या रद्द किए गए हैं, को ई-अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन के लिए निदेश दे सकते हैं और ऐसे व्यक्ति इन निदेशों का अनुपालन करेंगे।

अध्याय 4

15. **ई-अपशिष्ट के भंडारण के लिए प्रक्रिया -** प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, संग्रहण केन्द्र, व्यौहारी, नवीनीकरणकर्ता, भंजक अथवा पुन:चक्रक ई-अपशिष्ट को रख सकते हैं जो एक सौ अस्सी दिन की अवधि से अधिक न हो और अपशिष्टों के संग्रहण, बिक्री, अंतरण, भंडारण तथा पृथक्करण के अभिलेख का रख-रखाव करेंगे और निरीक्षण के लिए इन अभिलेखों को उपलब्ध कराएंगे :

परंतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अवधि को अपशिष्ट के पुन:चक्रण अथवा पुन:उपयोग के लिए विशेष रूप से भंडारण किए जाने की अपेक्षा वाले अपशिष्ट के मामले में प्रक्रिया विकास के लिए तीन सौ पैंसठ दिन के लिए बढ़ा सकता है।

अध्याय 5

वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर और इनके घटकों या उपभोज्यों या हिस्सों या स्पेयर्स के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कटौती

16. **वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कार और इनके घटकों या उपभोज्यों या हिस्सों या अतिरिक्त पुर्जों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कटौती.-** (1) अनुसूची I में सूचीबद्ध प्रत्येक वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर तथा उनके घटकों को सुनिश्चित करना होगा कि नए वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर तथा उसके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/अतिरिक्त पुर्जों में सीसा, पारा, कैडमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, पोलिब्रोमिनेटेड, बाईफेनाईल्स अथवा पोलिब्रोमिनेटेड डिफेनाईल इथर न हो। प्रावधान है कि सीसा, पारा, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, पोलिब्रोंमिनेटेड बाईफेनाईल्स और पोलिब्रोमिनेटेड डिफेनाईल इथर हेतु होमोजिनस पदार्थों में 0.1% तक के वजन और कैडमियम हेतु होमोजिनस पदार्थों में 0.01% तक के वजन का अधिकतम संकेंद्रणमूल्य की अनुमति दी जाएगी ।

(2) 1 मई, 2014 से पूर्व बाजार में उतारे गए वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के लिए अपेक्षित घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/अतिरिक्त पुर्जों को नियम-16 के उप नियम (1) के उपबंधों से छूट प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि खतरनाक पदार्थों के अनुरूप अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध न हों।

(3) अनुसूची II में सूचीबद्ध अनुप्रयोगों को नियम 16 के उप नियम (1) के उपबंधों से छूट दी जाएगी।

(4) अनुसूची II में सूचीबद्ध अनुप्रयोगों का प्रत्येक उत्पादक सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची II में दिए गए खतरनाक पदार्थों की सीमाओं का अनुपालन किया जाए।

(5) प्रत्येक विनिर्माता, उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन में खतरनाक पदार्थ उपबंधों पर रोक की अनुरुपता की घोषणा के साथ उपस्करों के संघटकों और अपने घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/स्पेयर्स से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराएगा।

(6) नए वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के लिए बाजार में आयातों अथवा स्थानन को केवल उनके लिए अनुमति दी जाएगी जो नियम 16 के उप-नियम (1) और (4) के उपबंधों के अनुपालनकर्ता हैं।

(7) रक्षा और अन्य समान रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए गए वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण और आपूर्ति को नियम-16 के उप-नियम (1) और उप नियम (4) के उपबंधों से अपवर्जित किया जाएगा।

(8) ईपीआर-प्राधिकार मांगने के दौरान प्रत्येक विनिर्माता, नियम 16 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुपालन संबंधी सूचना प्रदान करेंगे । यह सूचना स्व-घोषणा के निबंधन में होगी।

(9) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खतरनाक पदार्थों की कटौती के उपबंधों के अनुपालन की मॉनीटर और सत्यापित करने के लिए बाजार में मौजूद वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की अनियमित सैम्पलिंग कराएगा और नमूना और परीक्षण की लागत को उत्पादक द्वारा वहन किया जाएगा। अनियमित प्रतिदर्शी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

(10) यदि उत्पादन लागत खतरनाक पदार्थ की कटौती के उपबंधों के अनुपालन नहीं है तो उत्पादक सुधारात्मक उपस्करों के लिए उत्पादकों को उस दायरे में लाएगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त अवधि में बाजार से उत्पाद को वापस उठा लेगा।

(11) जैसा कि इस प्रयोजन के लिए अनुसूची I और II में सूचीबद्ध मदों और प्रयोगशालाओं को भी सूचीबद्ध करने के संबंध में नियम 16 के उप नियम (1) में सूचीबद्ध किए गए अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खतरनाक पदार्थों की प्रतिदर्शी और विश्लेषण के लिए पद्धतियां प्रकाशित करेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

17. **प्राधिकारियों के कर्तव्य -** इस नियमों के अन्य उपाबंधों के अध्ययीन, प्राधिकारी अनुसूची IV में यथा उल्लिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

18. **वार्षिक रिपोर्ट .-** (1) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्ररूप 5 में प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक इन नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-अपशिष्ट के प्रबंधन संबंधी समेकित वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रतिवर्ष 30 दिसम्बर के पूर्व इनकी सिफारिशों सहित केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

19. **ई-अपशिष्ट का परिवहन. -** मालसूची प्रणाली के अनुसार ई-अपशिष्ट का परिवहन किया जाएगा जिसमें वाहक से प्रेषक द्वारा प्ररूप 6 के अनुसार विवरण देते हुए तैयार दस्तावेज (तीन प्रतियां) साथ रखने की अपेक्षा होगी।

परंतु शोधन, भंडारण तथा निपटान सुविधा में अंतिम निपटान के लिए विनिर्माण या पुन:चक्रण से सृजित अपशिष्ट के परिवहन के दौरान खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत उपबंधों का पालन किया जाएगा।

20. **दुर्घटना की रिर्पोट करना -** ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थल में दुर्घटना घटती है अथवा ई-अपशिष्ट के परिवहन के दौरान, जैसा मामला हो, विनिर्माता, नवीकरणकर्ता, परिवाहक, भंजक अथवा पुन:चक्रक, दुर्घटना के बारे में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फोन तथा ई-मेल से तत्काल रिपोर्ट करेंगे।

21. **विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, वाहक, नवीकरणकर्ता, भंजक और पुन:चक्रक का दायित्व.-** (1) विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, वाहक, नवीकरणकर्ता, भंजक और पुन:चक्रक ई-अपशिष्ट के अनुप्रयुक्त उठाई-धराई और प्रबंधन के कारण पर्यावरण या तीसरे पक्ष को हुई सभी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, वाहक, नवीकरणकर्ता, भंजक और पुन:चक्रक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन नियमों के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिए लगाई गई वित्तीय शास्तियों का भुगतान करेंगे।

22. **अपील.-** (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित निलंबन अथवा रद्द करने के आदेश अथवा प्राधिकार के इंकार करने अथवा इसके नवीकरण से पीड़ित कोई व्यक्ति, उसे प्रदान किए गए आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी जिसमें राज्य का पर्यावरण सचिव शामिल है प्ररुप 7 में अपील कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील पर कार्रवाई कर सकता है, यदि वह इस बात से समाधान हो कि आवेदक को यथा समय अपील करने से रोके जाने के पर्याप्त कारण थे।

(3) इस नियम के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक अपील का इसके प्रस्तुत करने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा।

23. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा समय-समय पर प्रकाशित दिशा निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ई-अपशिष्ट का संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, पृथक्करण, नवीनीकरण, भंजन, पुन:चक्रण और निपटान होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) संशोधन नियम 2011 का क्रियान्वयन किया जाएगा ।

24. शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम समिति/परिषद/निगम) सुनिश्चित करेंगे कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ई-अपशिष्ट का संग्रहण किया जाए और उसे प्राधिकृत भंजक या पुन:चक्रक को दिशा निर्दिष्ट किया जाए।

अनुसूची I

(नियम 2, 3 (ञ), 3(य), 3(कक) और 3(चच); 5, 9; 11(10), 13 (1) (i), 13(1) (vii) और 16(1), 16(11) देखें)

इन नियमों के अंतर्गत शामिल वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के श्रेणियों सहित उनके अवयव, उपभोज्य, पुर्जे और अतिरिक्त पुर्जों

क्र.सं.	वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की श्रेणियां	ईईई कोड
i.	**सूचना प्रौद्योगिकी और दूर-संचार उपस्कर :**	
	केन्द्रीकृत डेटा प्रसंस्करण : मेनफ्रेम, मिनीकम्प्यूटर	आईटीईडब्ल्यू 1
	व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : व्यक्तिगत कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित केन्द्रीय प्रक्रियण एकक)	आईटीईडब्ल्यू 2
	व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : लैपटॉप कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित केन्द्रीय प्रक्रियण एकक)	आईटीईडब्ल्यू 3
	व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : नोटबुक कम्प्यूटर	आईटीईडब्ल्यू 4
	व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : नोटपैड कम्प्यूटर	आईटीईडब्ल्यू 5
	कार्ट्रिज सहित प्रिन्टर	आईटीईडब्ल्यू 6
	प्रतिलिपिकरण उपस्कर	आईटीईडब्ल्यू 7
	वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	आईटीईडब्ल्यू 8
	प्रयोक्ता टर्मिनल और प्रणालियां	आईटीईडब्ल्यू 9
	अनुलिपि	आईटीईडब्ल्यू 10
	टेलेक्स	आईटीईडब्ल्यू 11
	टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू 12
	पे टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू 13
	तारमुक्त टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू 14
	सेल फोन	आईटीईडब्ल्यू 15
	उत्तरदायी प्रणालियां	आईटीईडब्ल्यू 16
ii.	**उपभोक्ता वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स :**	
	टेलीविज़न सेट (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी पर आधारित सेट सहित)	सीईईडब्ल्यू 1
	रिफ्रिज़रेटर	सीईईडब्ल्यू 2
	वाशिंग मशीन	सीईईडब्ल्यू 3
	केन्द्रीकृत वातानुकूलन संयंत्रों को छोड़कर अन्य वातानुकूलक	सीईईडब्ल्यू 4
	फलोरोसेंट और पारदधारी अन्य लैम्प	सीईईडब्ल्यू 5

IndiaCode

अनुसूची II

[नियम 16(3), 16 (4) और 16 (11) देखें]

अनुप्रयोग, जिन्हें नियम 16 के उप-नियम (1) की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है	
	पदार्थ
1	सिंगल कैप्ड (कम्पैक्ट) फ्लोरोसेंट लैंपों में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रतिबर्नर) :
1(क)	सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु <30 वाट : 2.5 मिग्रा
1(ख)	सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु ≥30 वाट और <50 वाट : 3.5 मिग्रा
1(ग)	सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु ≥50 वाट और < 150 वाट : 5 मिग्रा
1(घ)	सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु ≥150 वाट : 15 मिग्रा
1(ङ)	वृत्ताकार या वर्गाकार संरचनात्मक आकार वाले और ट्यूब व्यास ≤17 मिमी सहित सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों के लिए : 7 मिग्रा
1(च)	विशेष प्रयोजनों हेतु : 5 मिग्रा
2(क)	सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों के लिए डबल-कैप्ड लिनीयर फ्लोरेसेंट लैंपों में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रति लैंप)
2(क)(1)	सामान्य जीवन अवधि और ट्यूब व्यास ≤ 9 मिमी (उदाहरणार्थ टी 2) सहित ट्रि-बैंड फॉस्फर: 4 मिग्रा
2(क)(2)	सामान्य जीवन अवधि और ट्यूब व्यास ≥ 9 मिमी और ≤ 17 मिमी (उदाहरणार्थ टी 5) सहित ट्रि-बैंड फॉस्फर: 3 मिग्रा
2(क)(3)	सामान्य जीवन अवधि और ट्यूब व्यास > 17 मिमी और ≤ 28 मिमी (उदाहरणार्थ टी 8) : 3.5 मिग्रा फॉस्फर
2(क)(4)	सामान्य जीवन अवधि और ट्यूब व्यास> 28 मिमी (उदाहरणार्थ टी12) सहित ट्रि-बैंड फॉस्फर: 3.5 मिग्रा
2(क)(5)	लंबी जीवन अवधि (≥ 25000 एच) सहित ट्रि-बैंड फॉस्फर: 5 मिग्रा
2(ख)	अन्य फ्लोरेसेंट लैंपों में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रति लैंप) :
2(ख)(1)	ट्यूब > 28 मिमी (उदाहरणार्थ टी10 और टी 12) वाले लिनीयर हैलोफॉस्फेट लैंप : 10 मिग्रा
2(ख)(2)	नॉन-लिनीयर हैलोफॉस्फेट लैंप (सभी व्यास) : 15 मिग्रा
2(ख)(3)	ट्यूब डायमीटर > 17 मिमी (उदाहरणार्थ टी9)सहित नॉन-लिनीयर ट्रि-बैंड फॉस्फर लैंप : 15 मिग्रा
2(ख)(4)	अन्य सामान्य प्रकाश-व्यवस्था और विशेष उद्देश्यों हेतु लैम्प (उदाहरणार्थ इंडक्शन लैंप) : 15 मिग्रा
3	विशेष प्रयोजनों हेतु कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंपों और बाह्य इलेक्ट्रोड फ्लोरोसेंट लैंपों (सीसीएफएल और ईईएफएल) में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रतिलैंप) :
3(क)	कम लंबाई (≤ 500 मिमी) : 3.5 मिग्रा
3(ख)	मध्यम लंबाई (> 500 मिमी और ≤ 1500 मिमी) : 5 मिग्रा
3(ग)	अधिक लंबाई (> 1500 मिमी) : 13 मिग्रा
4(क)	अन्य अल्पदाब निस्सरण लैंपों में पारा (प्रति लैंप) : 15 मिग्रा
4(ख)	सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु उन्नत रंग वाले प्रदर्शन सूचकांक आरए > 60 सहित लैंपों में उच्चदाब सोडियम (वाष्प) लैंपों में पारे,से अधिक नहीं :
4(ख)-I	पी ≤ 155 वाट : 30 मिग्रा
4(ख)-II	155 वाट < पी ≤ 405 वाट : 40 मिग्रा
4(ग)-III	पी > 405 वाट : 40 मिग्रा
4(ग)	सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु अन्य उच्चदाब सोडियम (वाष्प) लैंपों में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रति बर्नर):

Unofficial Code

4(ग)-I	पी $\leq$ 155 वाट : 25 मिग्रा
4(ग)-II	155 वाट < पी $\leq$ 405 वाट :30 मिग्रा
4(ग)-III	पी > 405 वाट : 40 मिग्रा
4(घ)	उच्च दाब पारा (वाष्प) लैंपों (एचपीएमवी) में पारा
4(ड.)	धातु हेलाइड लैंपों (एमएच) में पारा
4(च)	विशेष प्रयोजनों, जिनका इस अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हेतु अन्य निस्सरण लैंपों में पारा
5(क)	कैथोड किरण ट्यूबों के कांच में सीसा
5(ख)	फ्लोरेसेंट ट्यूब के कांच में सीसा, भार में 0.2% से अधिक नहीं
6(क)	मशीनीकरण के प्रयोजनों से इस्पात में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में सीसा और कलईदार इस्पात में सीसे की मात्रा भार में 0.35% सीसा तक
6(ख)	एलुमिनियम में मिश्र धातु के रूप में सीसे की मात्रा भार के 0.4% सीसे तक
6(ग)	तांबा मिश्र धातु में शीशे की मात्रा उसके भार की 4%
7(क)	उच्च गलनांक तापमान प्रकार के टांकों में सीसा (अर्थात् सीसा-आधारित मिश्र धातुओं में भार का 85% सीसा या उससे अधिक सीसा)
7(ख)	दूरसंचार के लिए स्विचिंग/सिग्नलिंग, संचारण और नेअवर्क प्रबंधन हेतु सर्वरों, भंडारण और भंडारण व्यवस्था प्रणालियों, नेटवर्क के लिए टांकों में सीसा
7(ग)- I	संधारितों उदाहरणार्थ पीजोइलेक्ट्रॉनिक उपस्करों या कांच या सेरेमिक मैट्रिक्स यौगिक में डिइलेक्ट्रिक सेरेमिक के अलावा कांच या सेरेमिक में सीसा युक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटक
7(ग)-II	125 वीएसी या 250 वी डीसी अथवा उच्चतर नियत वॉल्टेज हेतु संघारितों में डिइलेक्ट्रिक सेरेमिक में सीसा
7(ग)-III	125 वीएसी या 250 वीडीसी नियत वॉल्टेज हेतु संधारितों में डिइलेक्ट्रिक सेरेमिक में शीशा
8(क)	एक छर्रा के प्रकार के ताप रूकावटों में कैडमियम और उसके यौगिक
8(ख)	वैद्युत संकुचनों में कैडमियम और उसके यौगिक
9	प्रशीतन घोल में उसके वजन का 0.75% तक अवशोषण रिफ्रिजरेटरों में कार्बन इस्पातशीतलन प्रणाली के क्षरण-विरोधी घटक के रूप में हेक्सावेलेंट क्रोमियम
9(ख)	तापन, वातायन, वातानुकूलन और रिफ्रिजरेशन (एचवीएसीआर) अनुप्रयोग हेतु कंप्रेसर युक्त रिफ्रिजरेंट के लिए बीयरिंग शेल्स और बुशेज में सीसा
11(क)	सी-प्रेस कम्प्लेनिंग पिन संयोजक प्रणालियों में प्रयुक्त सीसा
11(ख)	सी-प्रेस कम्प्लेनिंग पिन संयोजक प्रणालियों से भिन्न प्रणालियों में प्रयुक्त सीसा
12	थर्मल कंडक्शन मॉड्यूल सी-रिंग हेतु परत सामग्री के रूप में सीसा
13(क)	प्रकाशीय अनुप्रयोगों हेतु प्रयुक्त सफेद कांचों में सीसा
13(ख)	फिल्टर कांचों और परावर्तन मानकों के लिए प्रयुक्त कांचों में कैडमियम और सीसा
14	80% से अधिक और 85% से कम भार के सीसे की मात्रा सहित पिनों और माइक्रोप्रोसेसरों के पैकेज बीच संयोजन हेतु दो से अधिक तत्वों से युक्त टांकों में सीसा
15	सेमीकंडक्टर डाई और एकीकृत सर्किट फ्लिप चिप पैकेजों के भीतर संवाहक के बीच व्यवहार्य वैद्युत संयोजन को पूरा करने के लिए टांकों में सीसा
16	सिलिकेट परत युक्त ट्यूबों सहित दीप्तोष्ण लैंपों के लिनीयर में सीसा
17	व्यावसायिक रेप्रोग्राफी अनुप्रयोगों हेतु प्रयुक्त उच्च तीव्रता निस्सरण (एचआईडी) लैंपों में दीप्तिमान घटक के रूप में सीसा हेलाइड

18(क)	डाइजोप्रिंटिंग रेप्रोग्राफी, लिथोग्राफी, कीटजाल, फोटोकेमिकल और एसएमएस ((एसआर, बीए)$_2$एमजीएसआई$_2$ओ$_7$: पीबी) जैसे फॉस्फोरस वाली संसाधन प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट लैंपों के रूप में प्रयुक्त किए जाने पर फ्लोरेसेंट पावडर (भार का 1% या कम सीसा) के निस्सरण वाले लैंपों में उत्प्रेरक के रूप में सीसा
18(ख)	बीएसपी (बीएएसआई$_2$ओ$_5$: पीबी) जैसे फॉस्फोरस युक्त सनटेनिंग लैंपों के रूप में प्रयुक्त किए जाने पर फ्लोरोसेंट पावडर (भार का 1% या कम सीसा) के निस्सरण वाले लैंपों में उत्प्रेरक के रूप में सीसा
19	बहुत कम्पैक्ट ऊर्जा बचत लैंपों (ईएसएल) में ही सहायक मिश्रण के रूप में मुख्य मिश्रण के रूप में और पीबीएसएन-एचजी के साथ विशिष्ट घटकों में पीबी बीआईएसएन-एचजी और पीबीएलएनएसएन-एचजी के साथ सीसा
20	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) हेतु प्रयुक्त फ्लैट फ्लोरेसेंट लैंपों के अगले और पिछले अध:स्तरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त शीशे में सीसा ऑक्साइड
21	बोरोसिलिकेट और सोडा लाइम कांचों जैसे कांचों पर मीनाकारी करने के लिए मुद्रण स्याही में सीसा और कैडमियम
23	0.65 मिमी और उससे कम की पिच के साथ संयोजकों के अलावा बढ़िया पिच घटक तैयार करने में सीसा
24	एक समतल श्रृंखला समूह में सिरेमिक बहुपरती संधारितों में छिद्र चक्रिकाभ के माध्यम से मशीनों को टांका लगाने के लिए टांकों में सीसा
25	संरचनात्मक तत्वों, विशेषकर मुहर मिश्रित करने और मिश्रित चक्राकार पदार्थ में प्रयुक्त सतह संवाहन इलेक्ट्रान एमिटर डिस्प्ले (एसईडी) मेंसीसा ऑक्साइड
26	गहरी रोशनी वाले नीले लैंपों के कांच आवरण में सीसा ऑक्साइड
27	उच्च-शक्ति (125 डीबी एसपीएल और उससे अधिक के ध्वनिक ऊर्जा स्तरों पर कई घंटों के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित) लाउडस्पीकरों में प्रयुक्त ट्रांसड्यूसरों हेतु टांके के रूप में सीसा मिश्र-धातु
29	क्रिस्टल कांच में सीसा की मात्रा निश्चित करना
30	100 डीबी (ए) और अधिक के ध्वनि दबाव स्तरों वाले उच्च-शक्ति लाउडस्पीकरों में इस्तेमाल किए गए ट्रांसड्यूसरों में ध्वनि कुंडली पर प्रत्यक्ष रूप से स्थित वैद्युत सुचालकों के वैद्युत/यांत्रिक टांका जोड़ों के रूप में कैडमियम मिश्र-धातु
31	मरकरी रहित फ्लैट फ्लोरेसेंट लैंपों (उदाहरणार्थ जिनका प्रयोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले; अभिकल्पन अथवा औद्योगिक प्रकाश-व्यवस्था हेतु किया जाता है, में टांका लगाने वाली सामग्रियों में सीसा
32	अर्गोन और क्रिप्टोन लेजर ट्यूबों के लिए विंडो संयोजन बनाने के लिए प्रयुक्त सील फ्रिट में सीसा ऑक्साइड
33	विद्युत ट्रांस्फॉर्मरों में 100 µm व्यास और उससे कम के पतली तांबे के तारों में टांका लगाने के लिए टांकों में सीसा
34	सरमेट-आधारित समयानुकूल करने वाले विभवमापी तत्वों में सीसा
36	प्रति डिस्प्ले 30 मिग्रा तक मात्रा सहित डीसी प्लाज्मा डिस्प्ले में कैथोड तड़तड़ाहट अवरोधक के रूप में प्रयुक्त पारा
37	जस्ता बोरेट कांच ढांचे के आधार पर उच्च वॉल्टेज डायोड्स की प्लेटिंग परत में सीसा
38	एलुमिनियम बद्ध बेरीलियम ऑक्साइड पर प्रयुक्त मोटी फिल्म पेस्ट में कैडमियम और कैडमियम ऑक्साइड
39	ठोस अवस्था में प्रदीपन अथवा डिस्प्ले प्रणालियों में इस्तेमाल करने के लिए रंग परिवर्तन II-VIएलईडी ($\leq$ 10 µgसीडी प्रतिएमएम^2 का प्रकाश विकीर्णन क्षेत्र) में कैडमियम

IndiaCode

अनुसूची III

[(नियम 5(1)(क) और 13(1)(ii) देखें)]

विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार के लिए लक्ष्य

सं.	वर्ष	ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य (संख्या/भार)
(i)	नियमों के कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्षों के दौरान	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट सृजन की मात्रा का 30%
(ii)	नियमों के कार्यान्वयन के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट सृजन की मात्रा का 40%
(iii)	नियमों के कार्यान्वयन के पांचवें और छठे वर्ष के दौरान	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट सृजन की मात्रा का 50%
(iv)	नियमों के कार्यान्वयन के लिए सातवें वर्ष से आगे	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट सृजन की मात्रा का 70%

अनुसूची IV

[(नियम 17 देखें)]

प्राधिकरण और उनके समनुरूपी कर्तव्यों की सूची

क्र.सं.	प्राधिकरण	समनुरूपी कर्तव्य
1.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	(i) ईपीआर-प्राधिकार देना और उसका नवीनीकरण तथा उसके अनुपालन की निगरानी (ii) अपनी वेबसाइट पर ईपीआर-प्राधिकार संबंधी सूचना का रखरखाव (iii) समय-समय पर ई-अपशिष्ट के संग्रहण हेतु लक्ष्य निर्धारित करना और उनमें संशोधन करना (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करना (v) ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना (vi) ई-अपशिष्ट नियमों के अनुपालन का पता लगाने के लिए अनियमित जांच करना और आयातकों/उत्पादकों की पहचान करना जिन्होंने ईपीआर प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं किया है या आरओएचएस उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीमा शुल्क विभाग या भारत सरकार की किसी दूसरी एजेंसी की सहायता लेगा। (vii) भंजक/पुश्चक्रक/नवीनीकरणकर्ता का अनियमित निरीक्षण करना (viii) ई-अपशिष्ट से संबंधित आंकड़ों का प्रलेखन; संकलन और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना (ix) इन नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई करना (x) प्रशिक्षण और कार्यक्रम आयोजित करना (xi) मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (xii) वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी लाने से संबंधित उपबंधों को लागू करना (xiii) खतरनाक पदार्थों में कमी करने के लिए आईटी उद्योग के साथ संपर्क स्थापित करना (xiv) समय-समय पर वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कटौती करने अनुपालन के लिए लक्ष्य तय करना और संशोधित करना। (xv) समय-समय पर इन नियमों के तहत मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य

IndiaCode

क्र.सं.	प्राधिकरण	समनुरूपी कर्तव्य
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की समितियां	(i) ई-अपशिष्ट की सूची बनाना (ii) विनिर्माता भंजन, पुन:चक्रकों और नवीनीकरणकर्ताओं को प्राधिकार प्रदान करना और उसका नवीनीकरण (iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भंजकों, पुन:चक्रकों और नवीनीकरणकर्ता प्राधिकार द्वारा निर्देशित किया गया है ईपीआर-प्राधिकार की निगरानी और अनुपालन (iv) भंजक, पुन:चक्रक/नवीनीकरणकर्ता का अनियमित निरीक्षण करना (v) विनिर्माताओं/भंजकों, पुन:चक्रकों/नवीनीकरणकर्ताओं को प्रदत्त प्राधिकार से संबंधित सूचना का ऑनलाइन रख-रखाव (vi) पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुन:चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (vii) इन निमयों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करना (viii) मंत्रालय द्वारा इन नियमों के अंतर्गत सौंपा गया कोई अन्य कार्य
3.	शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका समिति या परिषद या निगम)	(i) यह सुनिश्चित करना कि यदि ई-अपशिष्ट नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होना पाया जा रहा है तो उसे उचित ढंग से पृथक, संगृहीत किया जाए और उचित माध्यम से या तो प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या भंजक या पुन:चक्रक को पहुंचाया जाए। (ii) यह सुनिश्चित करना कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ई-अपशिष्ट संगृहीत किया जाता है और उचित माध्यम से या तो प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या भंजक अथवा पुन:चक्रक को भेजा जाता है।
4.	भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अंतर्गत बंदरगाह प्राधिकरण और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकरण	(i) ईपीआर-प्राधिकार का सत्यापन (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनधिकृत यातायात के बारे में सूचित करना (iii) भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908/सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उल्लंघनों के लिए आयातकों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

प्ररूप 1

नियम 5(1)(छ), 13(1)(झ), 13(1)(vi) देखें

विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार मांगने वाले उत्पादकों पर लागू

आवेदन प्ररूप में निम्नलिखित सूचना समाविष्ट की जानी चाहिए

1.	उत्पादक का नाम और पूरा पता, दूरभाष संख्याओं, ई-मेल और अन्य संपर्क ब्यौरे सहित (यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहां से पूरे देश में बिक्री का प्रबंधन किया जा रहा हो)	:	
2.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पूरा पता, ई-मेल, दूरभाष और फैक्स संख्या सहित	:	
3.	उत्पादक दायित्व संगठन का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा यदि कोई हो, पूरे पते, ई-मेल, दूरभाष और फैक्स संख्या सहित, यदि ईपीआर के क्रियान्वयन में शामिल हो	:	
4.	तालिका-1 के अनुसार गत 10 वर्षों के दौरान बाज़ार में वर्षवार रखे गए वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का ब्यौरा	:	

तालिका - 1 : गत वर्षों में बाज़ार में रखे गए वैद्युत तथा इलेक्ट्रोनिक उपस्कर का कोड वार ब्यौरा

क्र.सं.	**वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर मद कोड**	**वैद्युत तथा इलेक्ट्रोनिक उपस्कर कोड**	**बाज़ार में (वर्ष-वार) रखी गई मात्रा, संख्या और भार**
क	**सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपस्कर :**		
1	केन्द्रीकृत डेटा प्रसंस्करण : मेनफ्रेम, मिनीकम्प्यूटर	आईटीईडब्ल्यू 1	
2	व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : व्यक्तिगत कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित केन्द्रीय प्रक्रियण एकक)	आईटीईडब्ल्यू 2	
3	व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : लैपटॉप कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित केन्द्रीय प्रक्रियण एकक)	आईटीईडब्ल्यू 3	
4	व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : नोटबुक कम्प्यूटर	आईटीईडब्ल्यू 4	
5	व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : नोटपैड कम्प्यूटर	आईटीईडब्ल्यू 5	
6	कार्ट्रिज सहित प्रिन्टर	आईटीईडब्ल्यू 6	
7	प्रतिलिपिकरण उपस्कर	आईटीईडब्ल्यू 7	
8	वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	आईटीईडब्ल्यू 8	
9	प्रयोक्ता टर्मिनल और प्रणालियां	आईटीईडब्ल्यू 9	
10	अनुलिपि	आईटीईडब्ल्यू 10	
11	टेलेक्स	आईटीईडब्ल्यू 11	
12	टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू 12	
13	पे टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू 13	
14	तारमुक्त टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू 14	
15	सेल फोन	आईटीईडब्ल्यू 15	
16	उत्तरदायी प्रणालियां	आईटीईडब्ल्यू 16	
ख	**उपभोक्ता वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स :**		
17	टेलीविज़न सेट (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी पर आधारित सेट सहित)	सीईईडब्ल्यू 1	
18	रिफ्रिज़रेटर	सीईईडब्ल्यू 2	
19	वाशिंग मशीन	सीईईडब्ल्यू 3	
20	केन्द्रीकृत वातानुकूलन संयंत्रों को छोड़कर अन्य वातानुकूलक	सीईईडब्ल्यू 4	
21	फ्लोरेसेंट और मर्करी लेंप	सीईईडब्ल्यू 5	

indiacode

5. मद-वार वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर अपशिष्ट के सृजन का अनुमान लगाना और आने वाले वर्ष हेतु संग्रहण का अनुमानित लक्ष्य तालिका-2 के रूप में है जिसमें उनके सेवा केन्द्रों से सृजित हो रहे अपशिष्ट को भी शामिल किया गया है जो निम्न प्रकार है :

तालिका 2 : मद-वार वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर अपशिष्ट के सृजन का अनुमान लगाना और आने वाले वर्ष हेतु संग्रहण का अनुमानित लक्ष्य

क्रम सं.	**मद**	**वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का सृजित अपशिष्ट का अनुमान लगाना** **संख्या और भार**	**संग्रहण लक्ष्य** **संख्या और भार**

6. विस्तारित उत्पादक दायित्व योजनाएं :

(क) कृपया लक्ष्यों सहित विस्तारित उत्पादक दायित्व बंधनों को पूरा करने के लिए अपनी समग्र स्कीम के ब्यौरें दें। इसमें पूर्व में बाजार में लाए गए वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कार जैसे डीलरों और संग्रहण केन्द्रों, उत्पादक दायित्व संगठन के माध्यम से प्रयुक्त/अपशिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर को सामान्य स्कीम में चाहे सीधे अथवा किसी प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से और इस प्रकार संग्रहीत मदों से प्राधिकृत पुन:चक्रकों को निर्दिष्ट दिशा देने के लिए इसमें शामिल होना चाहिए।

(ख) अपनी स्कीम के तहत डीलरों, संग्रहण केन्द्रों, पुन:चक्रकों, शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा आदि के पास करार की प्रतियों सहित पतों की सूची उपलब्ध कराएं।

7. उपभोक्ता जागरुकता पैदा करने के लिए ईपीआर और संबद्ध पहल के लिए अनुमानित बजट।

8. प्रस्तावित जागरुकता कार्यक्रमों का ब्यौरा।

9. खतरनाक पदार्थ की कटौती के अनुपालन का ब्यौरा (लागू होने पर भरा जाए)।

(क) क्या शीशा, मर्करी, कैडमियम, हैक्सावेलेन्ट क्रोमियम, पौलिब्रोमिनिएडेट पबाईफिनाइल और पॉलीब्रोमिनेटेड फिनाइल ईथर के संबंध में बाजार में रखे वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कार नियम 16(1) से नियंत्रित हैं;

(ख) ईयू के मानक ईएन 50581 के संबंध में उत्पाद के आधार पर खतरनाक पदार्थों में कटौती (आरओएचएस) के उपबंधों के साक्ष्य रूप में तकनीकी दस्तावेज (आपूतिकर्ता घोषणा, सामग्री घोषणा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट) उपलब्ध कराएं।

(ग) अपेक्षित दस्तावेज :

(i) विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना;

(ii) संगत मंत्रालय/विभाग से अपने उत्पाद के बिक्री के लिए अनुमति की प्रति;

(iii) डीलरों, संग्रहण केन्द्रों, पुन:चक्रकों, शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा आदि के साथ करार की प्रतियां;

(iv) विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस/अनुमति जैसा भी लागू हो, की प्रति;

(v) खतरनाक पदार्थ की कटौती से संबंधित उपबंध के संबंध में स्वत: घोषणा;

(vi) अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

स्थान : _____

दिनांक : _____

IndiaCode

प्ररूप 1(क)

[नियम 4(2), 8(2), 13(2) (ii) , 13(2)(vi) और 13(4) (i) देखें]

विनिर्माता या नवीनीकरणकर्ता द्वारा ई-अपशिष्ट* के सृजन, भंडारण अथवा शोधन अथवा निपटान का प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन

प्रेषक :

.....

सेवा में

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम ई-अपशिष्टों के संग्रहण/भंडारण/परिवहन/शोधन/नवीनीकरण//निपटान के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 13(2)(i) से 13(2)(viii) तथा/या 13(4) (i) के अंतर्गत प्राधिकार की प्राप्ति/नवीकरण हेतु एतद्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं ।

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

कोड सं. :

क्या यह इकाई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथा अभिज्ञात

अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में स्थित है (हां/नहीं) ;

आवेदक द्वारा भरे जाने के लिए

1. विनिर्माता का नाम और पूरा पता :

2. संपर्क व्यक्ति का पदनाम और संपर्क ब्यौरा, जैसे दूरभाष सं., फैक्स सं. और ई-मेल :

3. जिसके लिए प्राधिकार अपेक्षित है (कृपया समुचित कार्यकलाप/कार्यकलापों* पर सही का चिन्ह लगाएं) :

(i) विनिर्माण*/नवीनीकरण* के दौरान सृजन ☐

(ii) शोधन, यदि कोई हो, ☐

(iii) संग्रहण, परिवहन, भंडारण ☐

(iv) नवीनीकरण ☐

IndiaCode

4. ई-अपशिष्ट का ब्यौरा :

(क) एमटी/ए में सृजित ई-अपशिष्ट की कुल मात्रा

(ख) नवीनीकृत मात्रा (नवीनीकरणकर्ता पर लागू)

(ग) पुन:चक्रण के लिए भेजी गई मात्रा

(घ) निपटान हेतु भेजी गई मात्रा

5. भंडारण/हथालन/शोधन/नवीनीकरण की सुविधाओं का ब्यौरा :

6. पिछले प्राधिकार के नवीकरण की दशा में पिछले प्राधिकार की संख्या और तारीख तथा वार्षिक विवरणी का ब्यौरा :

स्थान : हस्ताक्षर :

(नाम.....)

तारीख : पदनाम :

टिप्पणी :

(1) *ई-अपशिष्ट के लिए प्राधिकार खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के लिए प्राधिकार के साथ प्राप्त करें।

(2) जहां आवश्यक हो, अपेक्षित और आवश्यक ब्यौरा देने के लिए अतिरिक्त शीटों का प्रयोग करें।

प्ररूप 1(कक)

[नियम 5 (6) और 13(1)(ii) देखें]

विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार का प्ररुप

[वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के उत्पादक के लिए - विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार]

संदर्भ : ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के उत्पादक के रूप में ईपीआर - प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आपका आवेदन ।

1. प्राधिकार की संख्या : **तारीख :**

2. **मैसर्स** को निम्नलिखित के आधार पर एतद्वारा ईपीआर - प्राधिकार प्रदत्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) समग्र ईपीआर योजना

(ख) ई-अपशिष्ट के संग्रह के लिए प्रस्तावित लक्ष्य

3. यह प्राधिकार, जारी किए जाने की तारीख से.....वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों पर मान्य होगा :

(i) आपको अनुमोदित ईपीआर योजना का सख्ती से पालन करना होगा, जिसकी एक प्रति संलग्न है;

(ii) आपको सुनिश्चित करना होगा कि ईपीआर योजना में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संग्रहण तंत्र/केन्द्र की स्थापना अथवा निर्धारण किया गया है जिसमें राज्यवार स्थापना व्यवस्था करने सहित संग्रहण तंत्र/केन्द्र संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाए;

(iii) आप सुनिश्चित करेंगे कि विवरणानुसार सभी संग्रहीत ई-अपशिष्ट प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रक को दिशा-निर्दिष्ट किए गए हैं। राज्यवार पदनामित प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रक पर सूचना उपलब्ध कराई जाए।

IndiaCode

(iv) प्राधिकृत उत्पादक हथालन किए गए ई-अपशिष्टों का इन नियमों को प्ररूप 2 में अभिलेख रखेगा और संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संवीक्षा करने के लिए ऐसे अभिलेखों को उपलब्ध कराएगा।

(v) आपको प्ररूप 3 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के पश्चातवर्ती 30 जून को या उससे पहले वार्षिक विवरणी फाइल करनी होगी।

(vi) प्राधिकार के सामान्य निबंधन और शर्तें :

क. प्राधिकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनिमय, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में होगा ।

ख. प्राधिकार या उसके नवीकरण को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

ग. अनुमोदित ईपीआर योजना में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी जिसके संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 60 दिनों के भीतर निर्णय की सूचना दी जाएगी।

घ. यह प्राधिकृत व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सुविधा को बंद करने के लिए पूर्व अनुज्ञा ले ।

ड. प्राधिकार के लिए नवीकरण का आवेदन, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 13(1) के उप-नियम (vi) में निर्धारित अनुसार किया जाएगा ।

च. बोर्ड, प्राधिकार को बोर्ड या सरकार की नीति के अनुसार किसी भी समय रद्द करने/संशोधित करने/प्रतिसंहरण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पदनाम सहित

सेवा में,

संबंधित उत्पादक

प्रतिलिपि ;

1. सदस्य सचिव, संबंधित राज्य ।
2. प्रभारी, संबंधित आंचलिक कार्यालय, सीपीसीबी

प्ररूप 1(खख)

[नियम 4(2), 8(2)(क) 13(2)(iii) और 13(4)(ii) देखें]

विनिर्माता या नवीनीकरणकर्ता द्वारा ई-अपशिष्ट के सृजन या भंडारण/शोधन या नवीनीकरण या निपटान हेतु

प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्रपत्र

संदर्भ : प्राधिकार प्रदान करने हेतु आपका आवेदन

1. (क) प्राधिकार सं. और (ख) जारी करने की तारीख

2. के को एतद्वारा में स्थित परिसरों में ई-अपशिष्ट के सृजन, भंडारण/शोधन/निपटान हेतु प्राधिकार प्रदान किया जाता है ।

IndiaCode

(क) ई-अपशिष्ट की मात्रा

(ख) ई-अपशिष्ट की प्रकृति

3. यह प्राधिकार से तक की अवधि हेतु विधिमान्य होगा।

4. उपरिलिखित ई-अपशिष्ट को की विधि से शोधित/निपटान किया जाएगा।

5. यह प्राधिकार नीचे दी गई शर्तों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तत्समय लागू नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

हस्ताक्षर

पदनाम तारीख

प्राधिकार के निबंधन और शर्तें

1. प्राधिकार में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
2. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर प्राधिकार अथवा उसके नवीकरण को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
3. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित कार्य दशाओं के अनुसार कार्मिक, उपस्कर में कोई अनधिकृत परिवर्तन किए जाने पर उसका प्राधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
4. प्रचालन बंद करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति लेना प्राधिकृत व्यक्ति का कर्त्तव्य है।
5. प्राधिकार के नवीकरण हेतु नियम 13(2) के उप नियम (vi) में निर्धारित अनुसार आवेदन किया जाएगा।

प्ररूप 2

[नियम 4(4), 5(4), 6(5), 8(7), 9(2), 10(7), 11(8), (13(1)(xi), 13(2)(v), 13(3)(vii) और 13(4)(v) देखें]

प्रहस्तित या उत्पन्न ई-अपशिष्ट सृजन संबंधी रिकॉर्डों के रख-रखाव हेतु प्ररूप

प्रति वर्ष मीट्रिक टन (एमटी) में सृजित मात्रा

1.	नाम और पता : उत्पादक/विनिर्माता/भंजक/नवीनीकरणकर्ता/भंजक/पुनर्चक्रणकर्ता/बड़े उपभोक्ता*		
2.	ईपीआर प्राधिकार*/प्राधिकार* प्रदान करने की तारीख		
3.	ईपीआर-प्राधिकार*/पंजीकरण* की वैधता		
4.	सृजित अथवा हथालन किए गए उत्सर्जित ई-अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	
5.	भंडारित ई-अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	
6.	उत्पादक/भंजक/पुनःचक्रणकर्ता/नवीनीकरणकर्ता या प्राधिकृत भंजक या नवीनीकरणकर्ता द्वारा प्राधिकृत संग्रह केन्द्र	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	
7.	परिवहित* ई-अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा

IndiaCode

	गंतव्य स्थान का नाम, पता और संपर्क विवरण	मद का विवरण	
8.	नवीनीकरण* किए गए ई-अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा
	नवीनीकरण किए गए सामग्री के गंतव्य स्थान का नाम, पता और संपर्क विवरण	मद का विवरण	
9.	भंजित* ई-अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा
	गंतव्य स्थान का नाम, पता और संपर्क विवरण	मद का विवरण	
10.	पुनर्चक्रित* ई-अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा
	पुन:प्राप्त सामग्री का प्रकार और मात्रा	मद का विवरण	
	गंतव्य स्थान का नाम, पता और संपर्क विवरण	मात्रा	
11.	भंजकों द्वारा पुन: चक्रकों को भेजे गए ई-अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	
	गंतव्य का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा		
12.	ई-अपशिष्ट के भंजकों/पुन:चक्रकों द्वारा संबंधित पुन: चक्रकों को भेजे गए अन्य अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	
	गंतव्य का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा		
13.	शोधित और निपटाए गए ई-अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	
	गंतव्य का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा		

IndiaCode

नोट :-

(1) * जो लागू न हो उसे हटा दें।

(2) प्राधिकार प्रदाता के लिए शर्तों में निर्धारित कोई अन्य सूचना प्रदान करने हेतु

(3) **उत्पादकों के लिए इस सूचना को राज्य-वार उपलबध कराया जाना है।

प्ररूप 3

[नियम 4(5), 5(5), 8(6), 9(4), 10(8), 11(9), 13(1)(xi), 13(2)(v), 13(3)(vii) और 13(4)(v) देखें]

वार्षिक विवरणी भरने के लिए प्ररूप

[उत्पादक या विनिर्माता या नवीनीकरणकर्ता या भंजक या पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष, जिससे वह विवरणी संबंधित है, के पश्चात्वर्ती 30 जून तक प्रस्तुत किये जाने हेतु]

मीट्रिक टन (एमटी) में मात्रा और संख्या

1.	उत्पादक या विनिर्माता या नवीनीकरणकर्ता या भंजक/ पुनर्चक्रणकर्ता का नाम और पता			
2.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पूरा पता, टेलीफोन सं. तथा फैक्स सं. और ई-मेल सहित			
3.	उत्पादकों द्वारा अनुसूची-I में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की प्रत्येक श्रेणी हेतु वर्ष के दौरान प्रसंस्करण हेतु पुन:चक्रकों/भंजकों को दिशा निर्दिष्ट संग्रहीत ई-अपशिष्ट की कुल मात्रा (संलग्न सूची)			
	उपरोक्त का ब्यौरा	प्रकार	मात्रा	सं.

3(क)*	**बड़े उपभोक्ता :** ई-अपशिष्ट की मात्रा			
3(ख)*	**नवीनीकरणकर्ता** : ई-अपशिष्ट की मात्रा			
3(ग)*	**भंजक :** (i) संसाधित ई-अपशिष्ट की मात्रा (कोड-वार) (ii) पुन: प्राप्त और बिक्री की गई सामग्री/सामग्री/घटकों का ब्यौरा (iii) पुन:चक्रक को भेजी गई ई-अपशिष्ट की मात्रा (iv) शोधन/भंडारण और निपटान सुविधा को भेजी गई अवशेष मात्रा			
3(घ)*	पुनर्चक्रणकर्ता : (i) संशाधित ई-अपशिष्ट की मात्रा (श्रेणी वार) (ii) पुन: प्राप्त और बाजार में बिक्री की गई सामग्री का ब्यौरा (iii) शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा को भेजे गए अवशेष			
4	उपरोक्त 3(क)-3(घ) से संबंधित गंतव्य स्थान का नाम और पूरा पता			
5	3(क) और 3(घ) के लिए यथा उपयुक्त विभिन्न श्रेणियों के ई-अपशिष्ट से पृथक किए गए/पुन:प्राप्त सामग्री का प्रकार और मात्रा	प्रकार		मात्रा

IndiaCode

☐ जिन पुन:चक्रणकर्ताओं को पुनर्चक्रण हेतु ई-अपशिष्ट भेजा गया है उनकी सूची संलग्न करें।

स्थान

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख

टिप्पणी :

(1) * जो लागू न हो उसे हटा दें।

(2) प्राधिकार प्रदाता की शर्तों में निर्धारित अनुसार कोई अन्य सूचना उपलबध कराएं।

(3) बहुल अंचल कार्यालयों, बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों के पक्ष में फाइल करने हेतु प्रत्येक कार्यालय के संबंध में अतिरिक्त पंक्तियां 1 और 3(क) जोड़ने की अपेक्षा होगी।

प्ररूप 4

[नियम 13(3)(i) और 13(3)(vi) देखें]

ई-अपशिष्ट के भंजन या पुन:चक्रण के लिए पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन पद्धति सम्पन्न सुविधाओं के प्राधिकार हेतु आवेदन-प्ररूप

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें)

1.	इकाई का नाम और पता	
2.	संपर्क व्यक्ति का पदनाम, दूरभाष/फैक्स	
3.	शुरू करने की तारीख	
4.	कर्मकारों की संख्या (संविदागत श्रमिकों सहित)	
5.	सहमतियों की वैधता	क. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974;.....तक विधिमान्य ख. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;.....तक विधिमान्य

6.	विद्यमान प्राधिकार की वैधता, यदि कोई हो,	ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011;तक विधिमान्य		
7.	भंजन/पुन:चक्रण प्रक्रिया	कृपया पूर्ण विवरण संलग्न करें।		
8.	एमटी/वर्ष में संस्थापित क्षमता	उत्पाद	संस्थापित क्षमता (एमटीए)	
9.	गत तीन वर्षों के दौरान संसाधित ई-अपशिष्ट	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
10.	**<u>अपशिष्ट प्रबंधन :</u>** क. ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण के संसाधन में अपशिष्ट सृजन	कृपया सामग्रीवार ब्यौरा दें।		
	ख. अवशिष्टों के निपटान का ब्यौरा उपलब्ध करें।	कृपया ब्यौरा दें।		
	ग. नाम जिसके लिए शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा का उपयोग किया गया है, उसका नाम			
11.	पुन:प्रसंस्करण से प्रस्तावित प्राप्त किए जाने वाले ई-अपशिष्ट का ब्यौरा	कृपया ब्यौरा उपलब्ध करें		
12.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू	कृपया ब्यौरा उपलब्ध करें		
13.	मैनुअल और यांत्रिक दोनों तरह से भंजन की सुविधाओं का ब्यौरा			
14.	संग्रहण केन्द्र के साथ करार की प्रति			
15.	विनिर्माता के साथ करार की प्रति			
16.	भंजित ई-अपशिष्ट के भंडारण का ब्यौरा			
17.	पुन:चक्रक के साथ करार की प्रति			
18.	पुन:चक्रण सुविधाओं का ब्यौरा			
19.	संग्रहण केन्द्र के साथ करार की प्रति			
20.	विनिर्माता के साथ करार की प्रति			
21.	कच्ची सामग्री और पुन: प्राप्त सामग्री के भंडारण का विवरण			

IndiaCode

II. **प्राधिकार के नवीकरण** के मामले में, **पूर्व पंजीकरण प्राधिकार की संख्या तथा तारीख**

मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि उपर्युक्त कथन या सूचना, मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

हस्ताक्षर

तारीख :_____ नाम:_____

स्थान:_____ पदनाम:_____

प्ररूप 5

[नियम 18(1) देखें]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

सेवा में,

अध्यक्ष
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण और वन मंत्रालय)
भारत सरकार
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर
दिल्ली - 1100032

1.	इन नियमों के तहत राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु प्राधिकृत उत्पादकों, नवीनीकरणकर्ताओं/संग्रहण केन्द्रों, भंजकों और पुन:चक्रकों की संख्या	:	
2.	मासिक औसत आधार पर संगृहीत अपशिष्ट की मात्रा सहित उसकी श्रेणियां	:	कृपया अनुबंध-I के रुप में संलग्न करें
3.	संगृहीत ई-अपशिष्ट की कोड वार और उत्पाद-वार मात्रा का संक्षिप्त विवरण	:	कृपया अनुबंध-II के रुप में संलग्न करें
4.	ई-अपशिष्ट के पुन:चक्रण से पुन: प्राप्त सामग्री का ब्यौरा	:	
5.	शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा में प्राप्त सीएफएल की मात्रा	:	
6.	उपरोक्त रिपोर्ट_____ से _____ तक की अवधि के लिए है।		

तारीख :

स्थान :

अध्यक्ष या सदस्य सचिव
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्ररूप 6

[नियम 19 देखें]

ई-अपशिष्ट प्रदर्श

1.	भेजने वाले का नाम और डाक पता (फोन नम्बर सहित)	
2.	भेजने वाले का प्राधिकार संख्या, यदि, लागू हो	
3.	प्रदर्श दस्तावेज संख्या	
4.	वाहक का नाम और पता (फोन नम्बर सहित)	
5.	वाहन का प्रकार	(ट्रक या टैंकर या विशेष वाहन)
6.	वाहक की पंजीकरण संख्या	
7.	वाहन की पंजीकरण संख्या	
8.	पाने वाले का नाम और पता	
9.	पाने वाले का प्राधिकार संख्या, यदि लागू हो	
10.	ई-अपशिष्ट का विवरण (मद,भार/संख्या)	
11.	भेजने वाले का नाम और मोहर* (उत्पादक या विनिर्माता या बड़े उपभोक्ता या संग्रहण केन्द्र या नवीनीकरणकर्ता या भंजक) हस्ताक्षर महीना दिन वर्ष	

IndiaCode

12.	ई-अपशिष्ट की प्राप्ति की वाहक से पावती	
	नाम और मोहर : हस्ताक्षर	महीना दिन वर्ष
13.	ई-अपशिष्ट की प्राप्ति से संबंधित प्राप्तकर्ता* (संग्रहणकर्ता या नवीनीकरणकर्ताभंजक या पुन:चक्रक) से प्रमाणन	
	नाम और मोहर : हस्ताक्षर	महीना दिन वर्ष

*यथा लागू

टिप्पणी:

रंग श्रेणी कलर कोड सहित	प्रयोजन
प्रति एक (पीला)	वाहक से इस पर हस्ताक्षर लेने के पश्चात् भेजने वाले द्वारा रखा जाएगा ओर वाहक द्वारा अन्य तीन प्रतियों को अपने रखेगा।
प्रति दो (गुलाबी)	वाहक के हस्ताक्षर लेने के पश्चात् प्राप्तकर्ता द्वारा रखा जाएगा।
प्रति तीन (नारंगी)	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेने के पश्चात् वाहक द्वारा अपने पास रखा जाएगा।
प्रति चार (हरा)	प्राप्तकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् भेजने वाले को लौटाया जाएगा।

प्ररुप 7

(नियम 22 देखें)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने हेतु आवेदन पत्र

1. अपील करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :
2. आदेश पारित करने वाले प्राधिकरण जिसके : (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी)
3. जिस आधार पर अपील की जानी है :
4. मांगी गई राहत :
5. मद 2 में संदर्भित आदेश से भिन्न जिसके विरुद्ध अपील की जानी है संलग्नकों की सूची :

हस्ताक्षर

नाम और पता

स्थान :

दिनांक :

[फा.सं. 12-6/2013-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2016

G.S.R. 338(E).—Whereas the draft rules, namely the e-waste (Management) Rules, 2015, were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 472(E), dated the 10th June, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 10th day of June, 2015;

IndiaCode

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the specified period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the e-waste (Management and Handling) Rules, 2011, published in the Gazette of India, section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 1035(E), dated the 12th May, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the E-Waste (Management) Rules, 2016.
(2) They shall come into force from the 1st day of October, 2016.

2. Application. - These rules shall apply to every manufacturer, producer, consumer, bulk consumer, collection centres, dealers, e-retailer, refurbisher, dismantler and recycler involved in manufacture, sale, transfer, purchase, collection, storage and processing of e-waste or electrical and electronic equipment listed in Schedule I, including their components, consumables, parts and spares which make the product operational but shall not apply to -

(a) used lead acid batteries as covered under the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 made under the Act;
(b) micro enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); and
(c) radio-active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and rules made there under.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Act' means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
(b) 'authorisation' means permission for generation, handling, collection, reception, storage, transportation, refurbishing, dismantling, recycling, treatment and disposal of e-waste, granted to manufacturer, dismantler, refurbisher and recycler;
(c) 'bulk consumer' means bulk users of electrical and electronic equipment such as Central Government or State Government Departments, public sector undertakings, banks, educational institutions, multinational organisations, international agencies, partnership and public or private companies that are registered under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and health care facilities which have turnover of more than one crore or have more than twenty employees;
(d) 'Central Pollution Control Board' means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
(e) 'collection centre' means a centre or a collection point or both established by producer individually or as association jointly to collect e-waste for channelising the e-waste to recycler and play such role as indicated in the authorisation for Extended Producer Responsibility granted to the producer and having facilities as per the guidelines of Central Pollution Control Board, including the collection centre established by the dismantler or refurbisher or recycler which should be a part of their authorisation issued by the State Pollution Control Board where the facility exists;
(f) 'component' means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved and includes an accessory or attachment to another component;
(g) 'consumables' means an item, which participates in or is required for a manufacturing process or for functioning of the electrical and electronic equipment and may or may not form part of end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process, shall be deemed to be consumables;
(h) 'consumer' means any person using electrical and electronic equipment excluding the bulk consumers;

IndiaCode

(i) 'channelisation' means to direct the path for movement of e-wastes from collection onwards to authorised dismantler or recycler. In case of fluorescent and other mercury containing lamps, where recyclers are not available, this means path for movement from collection centre to Treatment, Storage and Disposal Facility;

(j) 'dealer' means any individual or firm that buys or receives electrical and electronic equipment as listed in Schedule I of these rules and their components or consumables or parts or spares from producers for sale;

(k) 'deposit refund scheme' means a scheme whereby the producer charges an additional amount as a deposit at the time of sale of the electrical and electronic equipment and returns it to the consumer along with interest when the end-of-life electrical and electronic equipment is returned;

(l) 'dismantler' means any person or organisation engaged in dismantling of used electrical and electronic equipment into their components and having facilities as per the guidelines of Central Pollution Control Board and having authorisation from concerned State Pollution Control Board;

(m) 'disposal' means any operation which does not lead to recycling, recovery or reuse and includes physico-chemical or biological treatment, incineration and deposition in secured landfill;

(n) 'end-of-life' of the product means the time when the product is intended to be discarded by the user;

(o) 'environmentally sound management of e-waste' means taking all steps required to ensure that e-waste is managed in a manner which shall protect health and environment against any adverse effects, which may result from such e-waste;

(p) 'electrical and electronic equipment' means equipment which are dependent on electric current or electro-magnetic field in order to become functional;

(q) 'e-retailer' means an individual or company or business entity that uses an electronic network such as internet, telephone, to sell its goods;

(r) 'e-waste' means electrical and electronic equipment**,** whole or in part discarded as waste by the consumer or bulk consumer as well as rejects from manufacturing, refurbishment and repair processes;

(s) 'e-waste exchange' means an independent market instrument offering assistance or independent electronic systems offering services for sale and purchase of e-waste generated from end-of-life electrical and electronic equipment between agencies or organisations authorised under these rules;

(t) 'Extended Producer Responsibility' means responsibility of any producer of electrical or electronic equipment, for channelisation of e-waste to ensure environmentally sound management of such waste. Extended Producer Responsibility may comprise of implementing take back system or setting up of collection centres or both and having agreed arrangements with authorised dismantler or recycler either individually or collectively through a Producer Responsibility Organisation recognised by producer or producers in their Extended Producer Responsibility - Authorisation;

(u) 'Extended Producer Responsibility - Authorisation' means a permission given by Central Pollution Control Board to a producer, for managing Extended Producer Responsibility with implementation plans and targets outlined in such authorisation including detail of Producer Responsibility Organisation and e-waste exchange, if applicable;

(v) **'**Extended Producer Responsibility Plan' means a plan submitted by a producer to Central Pollution Control Board, at the time of applying for Extended Producer Responsibility - Authorisation in which a producer shall provide details of e-waste channelisation system for targeted collection including detail of Producer Responsibility Organisation and e-waste exchange, if applicable;

(w) 'facility' means any location wherein the process incidental to the collection, reception, storage, segregation, refurbishing, dismantling, recycling, treatment and disposal of e-waste are carried out;

(x) 'Form' means a form appended to these rules;

(y) 'historical e-waste' means e-waste generated from electrical and electronic equipment as specified in Schedule I, which was available on the date from which these rules come into force;

(z) 'manufacturer' means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or Small and Medium Enterprises as defined in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), which has facilities for manufacture of electrical and electronic equipment;

(aa) 'orphaned products' means non-branded or assembled electrical and electronic equipment as specified in Schedule I or those produced by a company, which has closed its operations;

(bb) 'part' means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself, and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component, spare or an accessory;

(cc) 'producer' means any person who, irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-retailer, etc.;

(i) manufactures and offers to sell electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares under its own brand; or

(ii) offers to sell under its own brand, assembled electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares produced by other manufacturers or suppliers; or

(iii) offers to sell imported electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares;

(dd) 'Producer Responsibility Organisation' means a professional organisation authorised or financed collectively or individually by producers, which can take the responsibility for collection and channelisation of e-waste generated from the 'end-of-life' of their products to ensure environmentally sound management of such e-waste;

(ee) 'recycler' - means any person who is engaged in recycling and reprocessing of waste electrical and electronic equipment or assemblies or their components and having facilities as elaborated in the guidelines of Central Pollution Control Board;

(ff) 'refurbishment' means repairing of used electrical and electronic equipment as listed in Schedule I for extending its working life for its originally intended use and selling the same in the market or returning to owner;

(gg) 'refurbisher' for the purpose of these rules, means any company or undertaking registered under the Factories Act, 1948 or the Companies Act, 1956 or both or district industries centre engaged in refurbishment of used electrical and electronic equipment;

(hh) 'Schedule' means the Schedule appended to these rules;

(ii) "spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution which is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly including a component or an accessory;

(jj) 'State Government in relation to an Union territory means, the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution;

(kk) 'State Pollution Control Board' means the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territories constituted under sub-section (1) of section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(ll) 'target' means the quantity of e-waste to be collected by the producer in fulfilment of Extended Producer Responsibility;

(mm) 'transporter' means a person or company or entity engaged in the off-site transportation of e-waste by air, rail, road or water carrying a manifest system issued by the person or company or entity who has handed over the e-waste to the transporter, giving the origin, destination and quantity of the e-waste being transported;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II
RESPONSIBILITIES

4. Responsibilities of the manufacturer. - (1) collect e-waste generated during the manufacture of any electrical and electronic equipment and channelise it for recycling or disposal;

(2) apply for an authorisation in Form 1 (a) in accordance with the procedure prescribed under sub-rule (2) of rule 13 from the concerned State Pollution Control Board, which shall give the authorisation in accordance with Form 1 (bb);

(3) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste;

(4) maintain records of the e-waste generated, handled and disposed in Form-2 and make such records available for scrutiny by the concerned State Pollution Control Board;

(5) file annual returns in Form-3, to the concerned State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

5. Responsibilities of the producer. - The producer of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall be responsible for -

(1) implementing the Extended Producers Responsibility with the following frameworks, namely:-

IndiaCode

(a) collection and channelisation of e-waste generated from the 'end-of-life' of their products or 'end-of-life' products with same electrical and electronic equipment code and historical waste available on the date from which these rules come into force as per Schedule I in line with the targets prescribed in Schedule III in Extended Producer Responsibility - Authorisation;

(b) the mechanism used for channelisation of e-waste from 'end-of-life' products including those from their service centres to authorised dismantler or recycler shall be in accordance with the Extended Producer Responsibility - Authorisation. In cases of fluorescent and other mercury containing lamps, where recyclers are not available, channelisation may be from collection centre to Treatment, Storage and Disposal Facility;

(c) for disposal in Treatment, Storage and Disposal Facility, a pre-treatment is necessary to immobilise the mercury and reduce the volume of waste to be disposed off;

(d) Extended Producer Responsibility - Authorisation should comprise of general scheme for collection of waste Electrical and Electronic Equipment from the Electrical and Electronic Equipment placed on the market earlier, such as through dealer, collection centres, Producer Responsibility Organisation, through buy-back arrangement, exchange scheme, Deposit Refund System, etc. whether directly or through any authorised agency and channelising the items so collected to authorised recyclers;

(e) providing contact details such as address, e-mail address, toll-free telephone numbers or helpline numbers to consumer(s) or bulk consumer(s) through their website and product user documentation so as to facilitate return of end-of-life electrical and electronic equipment;

(f) creating awareness through media, publications, advertisements, posters, or by any other means of communication and product user documentation accompanying the equipment, with regard to -

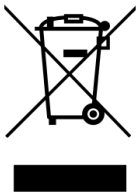
(i) information on address, e-mail address, toll-free telephone numbers or helpline numbers and web site;

(ii) information on hazardous constituents as specified in sub-rule 1 of rule 16 in electrical and electronic equipment;

(iii) information on hazards of improper handling, disposal, accidental breakage, damage or improper recycling of e-waste;

(iv) instructions for handling and disposal of the equipment after its use, along with the Do's and Don'ts;

(v) affixing a visible, legible and indelible symbol given below on the products or product user documentation to prevent e-waste from being dropped in garbage bins containing waste destined for disposal;



(vi) means and mechanism available for their consumers to return e-waste for recycling including the details of Deposit Refund Scheme, if applicable;

(g) the producer shall opt to implement Extended Producer Responsibility individually or collectively. In individual producer responsibility, producer may set up his own collection centre or implement take back system or both to meet Extended Producer Responsibility. In collective system, producers may tie-up as a member with a Producer Responsibility Organisation or with e-waste exchange or both. It shall be mandatory upon on the individual producer in every case to seek Extended Producer Responsibility - Authorisation from Central Pollution Control Board in accordance with the Form-1 and the procedure laid down in sub-rule (1) of rule 13;

(2) to provide information on the implementation of Deposit Refund Scheme to ensure collection of end-of-life products and their channelisation to authorised dismantlers or recyclers, if such scheme is included in the Extended Producer Responsibility Plan.

Provided that the producer shall refund the deposit amount that has been taken from the consumer or bulk consumer at the time of sale, along with interest at the prevalent rate for the period of the deposit at the time of take back of the end-of-life product;

(3) the import of electrical and electronic equipment shall be allowed only to producers having Extended Producer Responsibility authorisation;

(4) maintaining records in Form-2 of the e-waste handled and make such records available for scrutiny by the Central Pollution Control Board or the concerned State Pollution Control Board;

(5) filing annual returns in Form-3, to the Central Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates. In case of the Producer with multiple offices in a State, one annual return combining information from all the offices shall be filed;

(6) the Producer shall apply to the Central Pollution Control Board for authorisation in Form 1, which shall thereafter grant the Extended Producer Responsibility - Authorisation in Form 1(aa).

(7) Operation without Extended Producer Responsibility-Authorisation by any producer, as defined in this rule, shall be considered as causing damage to the environment.

6. Responsibilities of collection centres. - (1) collect e-waste on behalf of producer or dismantler or recycler or refurbisher including those arising from orphaned products;

Provided the collection centres established by producer can also collect e-waste on behalf of dismantler, refurbisher and recycler including those arising from orphaned products

(2) ensure that the facilities are in accordance with the standards or guidelines issued by Central Pollution Control Board from time to time;

(3) ensure that the e-waste collected by them is stored in a secured manner till it is sent to authorised dismantler or recycler as the case may be;

(4) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste;

(5) maintain records in Form-2 of the e-waste handled as per the guidelines of Central Pollution Control Board and make such records available for scrutiny by the Central Pollution Control Board or the concerned State Pollution Control Board as and when asked for.

7. Responsibilities of dealers. – (1) in the case the dealer has been given the responsibility of collection on behalf of the producer, the dealer shall collect the e-waste by providing the consumer a box, bin or a demarcated area to deposit e-waste, or through take back system and send the e-waste so collected to collection centre or dismantler or recycler as designated by producer;

(2) the dealer or retailer or e-retailer shall refund the amount as per take back system or Deposit Refund Scheme of the producer to the depositor of e-waste;

(3) every dealer shall ensure that the e-waste thus generated is safely transported to authorised dismantlers or recyclers;

(4) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste.

8. Responsibilities of the refurbisher. – (1) collect e-waste generated during the process of refurbishing and channelise the waste to authorised dismantler or recycler through its collection centre;

(2) make an application in Form 1(a) in accordance with the procedure laid down in sub-rule (4) of rule 13 to the concerned State Pollution Control Board for grant of one time authorisation;

(a) the concerned State Pollution Control Board shall authorise the Refurbisher on one time basis as per Form 1 (bb) and authorisation would be deemed as considered if not objected to within a period of thirty days;

(b) the authorised Refurbisher shall be required to submit details of e-waste generated to the concerned State Pollution Control Board on yearly basis;

(3) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste;

(4) ensure that the refurbishing process do not have any adverse effect on the health and the environment;

(5) ensure that the e-waste thus generated is safely transported to authorised collection centres or dismantlers or recyclers;

(6) file annual returns in Form-3 to the concerned State Pollution Control Board, on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates;

(7) maintain records of the e-waste handled in Form-2 and such records should be available for scrutiny by the appropriate authority.

9. Responsibilities of consumer or bulk consumer. – (1) consumers or bulk consumers of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall ensure that e-waste generated by them is channelised through collection centre or dealer of authorised producer or dismantler or recycler or through the designated take back service provider of the producer to authorised dismantler or recycler;

(2) bulk consumers of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall maintain records of e-waste generated by them in Form-2 and make such records available for scrutiny by the concerned State Pollution Control Board;

(3) consumers or bulk consumers of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall ensure that such end-of-life electrical and electronic equipment are not admixed with e-waste containing radioactive material as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and rules made there under;

(4) bulk consumers of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall file annual returns in Form-3, to the concerned State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates. In case of the bulk consumer with multiple offices in a State, one annual return combining information from all the offices shall be filed to the concerned State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates

10. Responsibilities of the dismantler. - (1) ensure that the facility and dismantling processes are in accordance with the standards or guidelines prescribed by Central Pollution Control Board from time to time;

(2) obtain authorisation from the concerned State Pollution Control Board in accordance with the procedure under sub-rule (3) of rule 13;

(3) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste;

(4) ensure that the dismantling processes do not have any adverse effect on the health and the environment;

(5) ensure that dismantled e-waste are segregated and sent to the authorised recycling facilities for recovery of materials;

(6) ensure that non-recyclable or non-recoverable components are sent to authorised treatment storage and disposal facilities;

(7) maintain record of e-waste collected, dismantled and sent to authorised recycler in Form-2 and make such record available for scrutiny by the Central Pollution Control Board or the concerned State Pollution Control Board;

(8) file a return in Form-3, to the concerned State Pollution Control Board as the case may be, on or before 30th day of June following the financial year to which that return relates;

(9) not process any e-waste for recovery or refining of materials, unless he is authorised with concerned State Pollution Control Board as a recycler for refining and recovery of materials;

(10) operation without Authorisation by any dismantler, as defined in this rule, shall be considered as causing damage to the environment.

11. Responsibilities of the recycler. – (1) shall ensure that the facility and recycling processes are in accordance with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board from time to time;

(2) obtain authorisation from concerned State Pollution Control Board in accordance with the procedure under the sub-rule (3) of rule 13;

(3) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste;

(4) ensure that the recycling processes do not have any adverse effect on the health and the environment;

(5) make available all records to the Central Pollution Control Board or the concerned State Pollution Control Board for inspection;

(6) ensure that the fractions or material not recycled in its facility is sent to the respective authorised recyclers;

(7) ensure that residue generated during recycling process is disposed of in an authorised treatment storage disposal facility;

(8) maintain record of e-waste collected, dismantled, recycled and sent to authorised recycler in Form-2 and make such record available for scrutiny by the Central Pollution Control Board or the concerned State Pollution Control Board;

(9) file annual returns in Form-3, to the concerned State Pollution Control Board as the case may be, on or before 30th day of June following the financial year to which that return relates;

(10) may accept waste electrical and electronic equipment or components not listed in Schedule I for recycling provided that they do not contain any radioactive material and same shall be indicated while taking the authorisation from concerned State Pollution Control Board;

(11) operation without Authorisation by any recycler, as defined in this rule, shall be considered as causing damage to the environment.

12. Responsibilities of State Government for environmentally sound management of E-waste. – (1) Department of Industry in State or any other government agency authorised in this regard by the State Government, to ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for e-waste dismantling and recycling in the existing and upcoming industrial park, estate and industrial clusters;

(2) Department of Labour in the State or any other government agency authorised in this regard by the State Government shall:

a. ensure recognition and registration of workers involved in dismantling and recycling;
b. assist formation of groups of such workers to facilitate setting up dismantling facilities;
c. undertake industrial skill development activities for the workers involved in dismantling and recycling;
d. undertake annual monitoring and to ensure safety & health of workers involved in dismantling and recycling;

(3) State Government to prepare integrated plan for effective implementation of these provisions, and to submit annual report to Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

IndiaCode

CHAPTER III

PROCEDURE FOR SEEKING AND GRANT OF AUTHORISATION FOR MANAGEMENT OF E-WASTE

13. Procedure for Seeking and Grant of Authorisation. -

(1) **Extended Producer Responsibility - Authorisation of Producers.** – (i) every producer of electrical and electronic equipment listed in Schedule I, shall make an application for Extended Producer Responsibility - Authorisation within a period of ninety days starting from the date of these rules coming into force in Form-1 to Central Pollution Control Board;

(ii) on receipt of the application complete in all respects, the Central Pollution Control Board will carry out evaluation of the Extended Producer Responsibility Plan and on being satisfied that the producer has detailed out an effective system to manage Extended Producer Responsibility in the country, shall grant Extended Producer Responsibility - Authorisation, in Form 1(aa) within a period of one hundred and twenty days. The Extended Producer Responsibility - Authorisation shall be valid for a period of five years;

This authorisation shall include among others the targeted quantity of e-waste, product code wise, to be collected during the year. The actual target for collection of e-waste for dismantling or recycling will be fixed on the basis of quantity of electrical and electronic equipment, product code wise, placed in the market in the previous years and taking into consideration the average life of the equipment. The estimated quantity of e-waste generated during the current year will be indicated by the producer and the quantity expected to be collected with the collection scheme proposed to be implemented by the producer will be indicated in the Extended Producer Responsibility plan. The Central Pollution Control Board shall fix the targets in accordance with Schedule III.

(iii) the Central Pollution Control Board, after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant shall refuse to grant Extended Producer Responsibility – Authorisation;

(iv) in the event of refusal of Extended Producer Responsibility - Authorisation by the Central Pollution Control Board, the producer will forfeit his right to put any Electrical and Electronic Equipment in the market till such time the Extended Producer Responsibility - Authorisation is granted;

(v) the Central Pollution Control Board after grant of Extended Producer Responsibility - Authorisation shall forward the Extended Producer Responsibility Plan to respective State Pollution Control Board for monitoring;

(vi) an application for the renewal of Extended Producer Responsibility-Authorisation shall be made in Form-1 before one hundred and twenty days of its expiry to Central Pollution Control Board. The Central Pollution Control Board may renew the authorisation for a period of five years after receipt of compliance report from the

concerned State Pollution Control Board which shall submit the compliance report to Central Pollution Control Board within sixty days from the date of the receipt of the application. In case of non receipt of the compliance report from the State Pollution Control Board within stipulated time period of sixty days, Central Pollution Control Board may renew the Extended Producer Responsibility-Authorisation after examining such case on merit basis, subject to no report of violation of the provisions of the Act or the rules made there under or the conditions specified in the Extended Producer Responsibility - Authorisation;

(vii) every producer of Electrical and Electronic Equipment listed in Schedule I, shall take all steps, wherever required, to comply with the conditions specified in the Extended Producer Responsibility – Authorisation;

(viii) the concerned State Pollution Control Board shall monitor the compliance of Extended Producer Responsibility - Authorisation, take cognizance of any non-compliance and inform Central Pollution Control Board for taking action, as necessary;

(ix) Central Pollution Control Board shall conduct random check and if in its opinion, the holders of the Extended Producer Responsibility - Authorisation has failed to comply with any of the conditions of the authorisation or with any provisions of the Act or these rules and after giving a reasonable opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing cancel or suspend the Extended Producer Responsibility - Authorisation issued under these rules for such period as it considers necessary in the public interest and inform the concerned State Pollution Control Board within ten days of cancellation.

(x) the Central Pollution Control Board shall maintain an online register of Extended Producer Responsibility - Authorisation granted with conditions imposed under these rules for environmentally sound management of e-waste, and which shall be accessible to any citizen of the country.

(xi) The producer authorised under the provision of this rule shall maintain records in Form-2 and shall file annual returns of its activities of previous year in Form-3 to the Central Pollution Control Board on or before 30th day of June of every year;

(2) **Authorisation of Manufacturer. –** (i) the manufacturer generating e-waste shall obtain an authorisation from the concerned State Pollution Control Board;

(ii) the manufacturer shall make an application for authorisation, within a period of ninety days from the date of these rules coming into force in Form 1(a) to the concerned State Pollution Control Board for grant of authorisation;

(iii) on receipt of the application complete in all respects for the authorisation, the concerned State Pollution Control Board may, after such enquiry as it considers necessary and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities, technical capabilities and equipment to handle e-waste safely, grant within a period of one hundred and twenty days an authorisation in Form 1(bb) to the applicant to carry out safe operations in the authorised place only, which shall be valid for a period of five years;

(iv) the concerned State Pollution Control Board after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant may refuse to grant any authorisation;

(v) every person authorised under these rules shall maintain the record of e-waste handled by them in Form-2 and prepare and submit to the concerned State Pollution Control Board, an annual return containing the details specified in Form-3 on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates;

(vi) an application for the renewal of an authorisation shall be made in Form-1(a) before one hundred and twenty days of its expiry and the concerned State Pollution Control Board may renew the authorisation for a period of five years after examining each case on merit and subject to the condition that there is no report of violation of the provisions of the Act or the rules made thereunder or the conditions specified in the authorisation;

(vii) manufacturer shall take all steps to comply with the conditions specified in the authorisation;

(viii) the concerned State Pollution Control Board shall maintain an online register of authorisations granted with conditions imposed under these rules for environmentally sound management of e-waste, and which shall be accessible to any citizen of the country.

(3) **Procedure for grant of authorisation to dismantler or recycler.** - (i) every Dismantler or Recycler of e-waste shall make an application, within a period of one hundred and twenty days starting from the date of coming into force of these rules, in Form-4 in triplicate to the concerned State Pollution Control Board accompanied with a copy of the following documents for the grant or renewal of authorisation, namely:-

IndiaCode

(a) consent to establish granted by the concerned State Pollution Control Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (25 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(21 of 1981);
(b) certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other government agency authorised in this regard;
(c) proof of installed capacity of plant and machinery issued by the District Industries Centre or any other government agency authorised in this behalf;
(d) in case of renewal, a certificate of compliance of effluent and emission standards, treatment and disposal of hazardous wastes as applicable from the concerned State Pollution Control Board or any other agency designated for this purpose:

Provided that any person authorised or registered under the provisions of the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movements) Rules, 2008, and the E-waste (Management & Handling) Rules, 2011 prior to the date of coming into force of these rules shall not be required to make an application for authorisation till the period of expiry of such authorisation or registration:

(ii) the concerned State Pollution Control Board, on being satisfied that the application is complete in all respects and that the applicant is utilising environmentally sound technologies and possess adequate technical capabilities, requisite facilities and equipment to dismantle or recycle and process e-waste in compliance to the guidelines specified by Central Pollution Control Board from time to time and through site inspection, may grant authorisation to such applicants stipulating therein necessary conditions as deemed necessary for carrying out safe operations in the authorised place only;
(iii) the concerned State Pollution Control Board shall dispose of the application for authorisation within a period of one hundred and twenty days from the date of the receipt of such application complete in all respects;
(iv) the authorisation granted under these rules shall be valid for a period of five years from the date of its issue and shall be accompanied with a copy of the field inspection report signed by that Board indicating the adequacy of facilities for dismantling or recycling of e-waste and compliance to the guidelines specified by Central Pollution Control Board from time to time;
(v) the concerned State Pollution Control Board may refuse, cancel or suspend an authorisation granted under these rules, if it has reasons to believe that the authorised dismantler or recycler has failed to comply with any of the conditions of authorisation, or with any provisions of the Act or rules made thereunder, after giving an opportunity to the dismantler or recycler to be heard and after recording the reasons thereof;
(vi) an application for the renewal of authorisation shall be made in Form - 4 before one hundred and twenty days of its expiry and the concerned State Pollution Control Board may renew the authorisation for a period of five years after examining each case on merit and subject to the condition that there is no report of violation of the provisions of the Act or the rules made there under or the conditions specified in the authorisation;
(vii) the Dismantler and Recycler shall maintain records of the e-waste purchased, processed in Form-2 and shall file annual returns of its activities of previous year in Form-3 to the concerned State Pollution Control Board on or before 30th day of June of every year;
(viii) the Central Government and the Central Pollution Control Board may issue guidelines for standards of performance for dismantling and recycling processes from time to time.

(4) **Procedure for grant of authorisation to refurbisher.** – (i) every refurbisher of e-waste shall make an application, with in a period of one hundred and twenty days starting from the date of coming into force of these rules, in Form 1 (a) in triplicate to the concerned State Pollution Control Board accompanied with a copy of the following documents for the grant or renewal of authorisation, namely:-

(a) consent to establish granted by the concerned State Pollution Control Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (25 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981);
(b) certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other government agency authorised in this regard;
(c) proof of installed capacity of plant and machinery issued by the District Industries Centre or any other government agency authorised in this behalf.

(ii) the concerned State Pollution Control Board, on being satisfied that the application is complete in all respects and complies with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board from time to time, may grant one time authorisation in Form 1 (bb) to such applicants stipulating therein necessary conditions as deemed necessary for carrying out refurbishing activities in the authorised place only;

(iii) the concerned State Pollution Control Board shall dispose of the application for authorisation within a period of one hundred and twenty days from the date of the receipt of such application complete in all respects;

(iv) the concerned State Pollution Control Board may refuse, cancel or suspend a authorisation granted under these rules, if it has reasons to believe that the authorised refurbisher has failed to comply with any of the conditions of authorisation, or with any provisions of the Act or rules made thereunder, after giving an opportunity to the refurbisher to be heard and after recording the reasons thereof;

(v) the Refurbisher shall maintain records of the e-waste purchased and refurbished in Form-2 and shall file annual returns of its activities of previous year in Form-3 to the concerned State Pollution Control Board on or before 30th day of June of every year.

14. Power to suspend or cancel an authorisation.- (1) The State Pollution Control Board may, if in its opinion, the holder of Manufacturer or Dismantler or Recycler or Refurbisher Authorisation has failed to comply with any of the conditions of the authorisation or with any provisions of the Act or these rules and after giving a reasonable opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing cancel or suspend the authorisation issued under these rules for such period as it considers necessary in the public interest and inform Central Pollution Control Board within ten days of cancellation;

(2) The Central Pollution Control Board, if in its opinion, the holders of the Extended Producer Responsibility- Authorisation has failed to comply with any of the conditions of the authorisation or with any provisions of the Act or these rules and after giving a reasonable opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing cancel or suspend the Extended Producer Responsibility- Authorisation issued under these rules for such period as it considers necessary in the public interest and inform State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees within ten days of cancellation;

(3) Upon suspension or cancellation of the authorisation, the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board may give directions to the persons whose authorisation has been suspended or cancelled for the safe storage and management of the e-waste and such persons shall comply with such directions.

CHAPTER IV

15. Procedure for storage of e-waste. - Every manufacturer, producer, bulk consumer, collection centre, dealer, refurbisher, dismantler and recycler may store the e-waste for a period not exceeding one hundred and eighty days and shall maintain a record of collection, sale, transfer and storage of wastes and make these records available for inspection:

Provided that the concerned State Pollution Control Board may extend the said period up to three hundred and sixty five days in case the waste needs to be specifically stored for development of a process for its recycling or reuse.

CHAPTER V

REDUCTION IN THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN THE MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT AND THEIR COMPONENTS OR CONSUMABLES OR PARTS OR SPARES

16. Reduction in the use of hazardous substances in the manufacture of electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares. – (1) Every producer of electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares listed in Schedule I shall ensure that, new Electrical and Electronic Equipment and their components or consumables or parts or spares do not contain Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers beyond a maximum concentration value of 0.1% by weight in homogenous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers and of 0.01% by weight in homogenous materials for cadmium.

(2) Components or consumables or parts or spares required for the electrical and electronic equipment placed in the market prior to 1st May, 2014 may be exempted from the provisions of sub-rule (1) of rule 16 provided Reduction of Hazardous Substances compliant parts and spares are not available.

(3) The applications listed in Schedule II shall be exempted from provisions of sub-rule (1) of rule 16.

(4) Every producer of applications listed in Schedule II shall ensure that the limits of hazardous substances as given in Schedule II are to be complied.

(5) Every producer shall provide the detailed information on the constituents of the equipment and their components or consumables or parts or spares alongwith a declaration of conformance to the Reduction of Hazardous Substances provisions in the product user documentation.

(6) Imports or placement in the market for new electrical and electronic equipment shall be permitted only for those which are compliant to provisions of sub-rule (1) and sub rule (4) of rule 16.

(7) Manufacture and supply of electrical and electronic equipment used for defence and other similar strategic applications shall be excluded from provisions of sub-rule (1) of rule 16.

(8) Every producer while seeking Extended Producer Responsibility - Authorisation will provide information on the compliance of the provisions of sub-rule (1) of rule 16. This information shall be in terms of self-declaration.

(9) Central Pollution Control Board shall conduct random sampling of electrical and electronic equipment placed on the market to monitor and verify the compliance of Reduction of Hazardous Substances provisions and the cost for sample and testing shall be borne by the Producer. The random sampling shall be as per the guidelines of Central Pollution Control Board.

(10) If the product does not comply with Reduction of Hazardous Substances provisions, the Producers shall take corrective measures to bring the product into compliance and withdraw or recall the product from the market, within a reasonable period as per the guidelines of the Central Pollution Control Board.

(11) Central Pollution Control Board shall publish the methods for sampling and analysis of Hazardous Substances as listed in sub-rule(1) of rule 16 with respect to the items listed in Schedule I and II and also enlist the labs for this purpose.

India Code

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

17. **Duties of authorities. -** Subject to other provisions of these rules, the authorities shall perform duties as specified in Schedule IV.

18. Annual Report. – (1) The concerned State Pollution Control Board shall prepare and submit to the Central Pollution Control Board an annual report with regard to the implementation of these rules by the 30th day of September every year in Form-5.

(2) The Central Pollution Control Board shall prepare the consolidated annual review report on management of e-waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 30th day of December every year.

19. **Transportation of e-waste.** –The transportation of e-waste shall be carried out as per the manifest system whereby the transporter shall be required to carry a document (three copies) prepared by the sender, giving the details as per Form-6:

Provided that the transportation of waste generated from manufacturing or recycling destined for final disposal to a treatment, storage and disposal facility shall follow the provisions under Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

20. Accident reporting.- Where an accident occurs at the facility processing e-waste or during transportation of e-waste, the producer, refurbisher, transporter, dismantler, or recycler, as the case may be, shall report immediately to the concerned State Pollution Control Board about the accident through telephone and e-mail.

21. Liability of manufacturer, producer, importer, transporter, refurbisher, dismantler and recycler.- (1) The manufacturer, producer, importer, transporter, refurbisher, dismantler and recycler shall be liable for all damages caused to the environment or third party due to improper handling and management of the e-waste;

(2) The manufacturer, producer, importer, transporter, refurbisher, dismantler and recycler shall be liable to pay financial penalties as levied for any violation of the provisions under these rules by the State Pollution Control Board with the prior approval of the Central Pollution Control Board.

22. Appeal.- (1) Any person aggrieved by an order of suspension or cancellation or refusal of authorisation or its renewal passed by the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board may, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer a appeal in Form 7 to the Appellate Authority comprising of the Environment Secretary of the State.

(2) The Appellate Authority may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) Every appeal filed under this rule shall be disposed of within a period of sixty days from the date of its filing.

23. The collection, storage, transportation, segregation, refurbishment, dismantling, recycling and disposal of e-waste shall be in accordance with the procedures prescribed in the guidelines published by the Central Pollution Control Board from time to time. Implementation of e-waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2011 shall be in accordance with the guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board from time to time.

24. Urban Local Bodies (Municipal Committee or Council or Corporation) shall ensure that e-waste pertaining to orphan products is collected and channelised to authorised dismantler or recycler.

IndiaCode

SCHEDULE I

[See rules 2, 3(j), 3(y), 3(aa) and 3(ff); 5; 9; 11(10); 13 (1) (i), 13 (1) (vii) and 16(1), 16(11)]

Categories of electrical and electronic equipment including their components, consumables, parts and spares covered under the rules.

Sr. No.	Categories of electrical and electronic equipment	Electrical and electronic equipment code
i.	**Information technology and telecommunication equipment :**	
	Centralised data processing: Mainframes, Minicomputers	ITEW1
	Personal Computing: Personal Computers (Central Processing Unit with input and output devices	ITEW2
	Personal Computing: Laptop Computers(Central Processing Unit with input and output devices)	ITEW3
	Personal Computing: Notebook Computers	ITEW4
	Personal Computing: Notepad Computers	ITEW5
	Printers including cartridges	ITEW6
	Copying equipment	ITEW7
	Electrical and electronic typewriters	ITEW8
	User terminals and systems	ITEW9
	Facsimile	ITEW10
	Telex	ITEW11
	Telephones	ITEW12
	Pay telephones	ITEW13
	Cordless telephones	ITEW14
	Cellular telephones	ITEW15
	Answering systems	ITEW16

ii.	**Consumer electrical and electronics:**	
	Television sets (including sets based on (Liquid Crystal Display and Light Emitting Diode technology)	CEEW1
	Refrigerator	CEEW2
	Washing Machine	CEEW3
	Air-conditioners excluding centralised air conditioning plants	CEEW4
	Fluorescent and other Mercury containing lamps	CEEW5

SCHEDULE II

[See rules 16 (3), 16 (4) and 16 (11)]

Applications, which are exempted from the requirements of sub-rule (1) of rule 16	
	Substance
1	Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (per burner):
1(a)	For general lighting purposes <30 W : 2.5 mg
1(b)	For general lighting purposes ≥ 30 W and <50 W : 3.5mg
1(c)	For general lighting purposes ≥ 50 W and <150 W : 5mg
1(d)	For general lighting purposes ≥150 W : 15 mg
1(e)	For general lighting purposes with circular or square structural shape and tube diameter ≤17 mm : 7mg
1(f)	For special purposes:5 mg
2(a)	Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes not exceeding (per lamp):
2(a)(1)	Tri-band phosphor with normal life time and a tube diameter < 9mm (e.g. T2): 4mg
2(a)(2)	Tri-band phosphor with normal life time and a tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (e.g. T5): 3 mg
2(a)(3)	Tri- band phosphor with normal life time and a tube diameter >17 mm and ≤ 28 mm(e.g. T8): 3.5 mg
2(a)(4)	Tri-band phosphor with normal life time and a tube diameter >28 mm (e.g. T 12):3.5 mg
2(a)(5)	Tri-band phosphor with long life time (≥25000 h):5mg
2(b)	Mercury in other fluorescent lamps not exceeding(per lamp):
2(b)(1)	Linear halophosphate lamps with tube >28 mm (e.g. T 10 and T12):10 mg
2(b)(2)	Non-linear halophosphate lamps(all diameters):15mg
2(b)(3)	Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter >17 mm(e.g.T9): 15 mg
2(b)(4)	Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. induction lamps):15mg

IndiaCode

3	Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL)for special purposes not exceeding (per lamp):
3(a)	Short length(≤ 500 mm):3.5mg
3(b)	Medium length(>500 mm and≤1500 mm): 5mg
3(c)	Long length(>1500 mm): 13mg
4(a)	Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp): 15mg
4(b)	Mercury in High Pressure Sodium(vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner)in lamps with improved colour rendering index Ra>60:
4(b)-I	P ≤155 W : 30 mg
4(b)-II	155 W < P ≤405 W : 40 mg
4(b)-III	P >405 W: 40 mg
4(c)	Mercury in other High Pressure Sodium(vapour)lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner):
4(c)-I	P≤155 W:25mg
4(c)-II	155 W < P ≤ 405 W:30 mg
4(c)-III	P >405 W:40 mg
4(d)	Mercury in High Pressure Mercury (vapour) lamps (HPMV)
4(e)	Mercury in metal halide lamps (MH)
4(f)	Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Schedule
5(a)	Lead in glass of cathode ray tubes
5(b)	Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0.2% by weight
6(a)	Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanized steel containing up to 0.35% lead by weight
6(b)	Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0.4% lead by weight
6(c)	Copper alloy containing up to 4% lead by weight
7(a)	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead)
7(b)	Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission, and network management for telecommunications
7(c)-I	Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices, or in a glass or ceramic matrix compound.

IndiaCode

7(c)-II	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V DC or higher
7(c)-III	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC
8(a)	Cadmium and its compounds in one shot pellet type thermal cut-offs
8(b)	Cadmium and its compounds in electrical contracts
9	Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75% by weight in the cooling solution
9(b)	Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration (HVACR) application.
11(a)	Lead used in C-press compliant pin connector systems
11(b)	Lead used in other than C-press compliant pin connector systems
12	Lead as a coating material for the thermal conduction module C- ring
13(a)	Lead in white glasses used for optical applications
13(b)	Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards.
14	Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 80% and less than 85% by weight
15	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages.
16	Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes
17	Lead halide as radiant agent in high intensity discharge (HID) lamps used for professional reprography applications.
18(a)	Lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) of discharge lamps when used as specialty lamps for diazoprinting reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ($(Sr, Ba)_2Mg\ Si_2O_7$:Pb)
18(b)	Lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP ($Ba\ Si_2O_5$:Pb)
19	Lead with PbBiSn-Hg and PblnSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact energy saving lamps (ESL)
20	Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid Crystal Displays (LCDs)
21	Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses, such as borosilicate and soda lime glasses
23	Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65 mm and less
24	Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors
25	Lead oxide in surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements, notably in the seal frit and frit ring.

IndiaCode

26	Lead oxide in the glass envelope of black light blue lamps
27	Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers
29	Lead bound in crystal glass
30	Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB(A) and more
31	Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting)
32	Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser tubes
33	Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 µm diameter and less in power transformers
34	Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements
36	Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC plasma displays with a content up to 30 mg per display
37	Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body
38	Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on aluminium bonded beryllium oxide
39	Cadmium in colour converting II-VI LEDs (<10 µg Cd per mm^2 of light-emitting area) for use in solid state illumination or display systems.

IndiaCode

SCHEDULE III

[See rules 5 (1) (a) and 13 (1) (ii)]

Targets for Extended Producer Responsibility - Authorisation

No.	Year	E-Waste Collection Target (Number/Weight)
(i)	During first two year of implementation of rules	30% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(ii)	During third and fourth years of implementation of rules	40% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(iii)	During Fifth and Sixth years of implementation of rules	50% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(iv)	Seventh year onward of implementation of rules	70% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.

SCHEDULE IV

[See rule (17)]

LIST OF AUTHORITIES AND CORREPONDING DUTIES

Sr. No	AUTHORITY	CORRESPONDING DUTIES
1.	Central Pollution Control Board, Delhi	(i) Grant and Renewal of Extended Producer Responsibility - Authorisation and monitoring of its compliance. (ii) Maintain information on Extended Producer Responsibility - Authorisation on its web site. (iii) Set and revise targets for collection of e-waste from time to time. (iv) Coordination with State Pollution Control Boards (v) Preparation of Guidelines for Environmentally Sound Management of e-waste. (vi) Conduct random check for ascertaining compliance of the e-waste rules and identification of such importers or producers who have not applied for Extended Producer Responsibility authorisation or are not complying with RoHS provision. Wherever necessary, Central Pollution Control Board will seek the help of customs department or any other agency of the Government of India. (vii) Conduct random inspection of dismantler or recycler or refurbisher. (viii) Documentation, compilation of data on e-waste and uploading on websites of Central Pollution Control Board (ix) Actions against violation of these rules. (x) Conducting training programmes. (xi) Submit Annual Report to the Ministry. (xii) Enforcement of provisions regarding reduction in use of hazardous substances in manufacture of electrical and electronic equipment. (xiii) Interaction with IT industry for reducing hazardous substances. (xiv) Set and revise targets for compliance to the reduction in use of hazardous substance in manufacture of electrical and electronic equipment from time to time. (xv) Any other function delegated by the Ministry under these rules from time to time.
2.	State Pollution Control Boards or Committees of Union territories	(i) Inventorisation of e-waste. (ii) Grant and renewal of authorisation to manufacturers, dismantlers, recyclers and refurbishers. (iii) Monitoring and compliance of Extended Producer Responsibility - Authorisation as directed by Central Pollution Control Board and that of dismantlers, recyclers and refurbishers authorisation. (iv) Conduct random inspection of dismantler or recycler or refurbisher. (v) Maintain online information regarding authorisation granted to manufacturers, dismantlers, recyclers and refurbishers. (vi) Implementation of programmes to encourage environmentally sound recycling. (vii) Action against violations of these rules. (viii) Any other function delegated by the Ministry under these rules.

Sr. No	AUTHORITY	CORRESPONDING DUTIES
3.	Urban Local Bodies (Municipal Committee or Council or Corporation)	(i) To ensure that e-waste if found to be mixed with Municipal Solid Waste is properly segregated, collected and is channelised to authorised dismantler or recycler. (ii) To ensure that e-waste pertaining to orphan products is collected and channelised to authorised dismantler or recycler.
4.	Port authority under Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and Customs Authority under the Customs Act, 1962 (52 of 1962)	(i) Verify the Extended Producer Responsibility - Authorisation. (ii) Inform Central Pollution Control Board of any illegal traffic for necessary action. (iii) Take action against importer for violations under the Indian Ports Act, 1908/Customs Act, 1962.

FORM-1

[See Rules 5(1) (g), 13(1) (i), 13(1) (vi)]

Applicable to producers seeking Extended Producer Responsibility - Authorisation

The application form should contain the following information:

1.	Name and full address along with telephone numbers, e-mail and other contact details of Producer (It should be the place from where sale in entire country is being managed)	:	
2.	Name of the Authorised Person and full address with e-mail, telephone and fax number	:	
3.	Name, address and contact details of Producer Responsibility Organisation, if any with full address, e-mail, telephone and fax number, if engaged for implementing the Extended Producer Responsibility	:	
4.	Details of electrical and electronic equipment placed on market year-wise during previous 10 years in the form of Table 1 as given below:	:	

Table 1: Details of Electrical and Electronic Equipment placed on the market in previous years - Code wise

Sr. No.	Electrical and Electronic Equipment Item	Electrical and Electronic Equipment Code	Quantity, number and weight placed on market (year-wise)									
A	**Information technology and telecommunication equipment:**											
1	Centralised data processing: Mainframes, Minicomputers	ITEW1										
2	Personal Computing: Personal Computers (Central Processing Unit with input and output devices)	ITEW2										
3	Personal Computing: Laptop Computers(Central Processing Unit with input and output devices)	ITEW3										

4	Personal Computing: Notebook Computers	ITEW4										
5	Personal Computing: Notepad Computers	ITEW5										
6	Printers including cartridges	ITEW6										
7	Copying equipment	ITEW7										
8	Electrical and electronic typewriters	ITEW8										
9	User terminals and systems	ITEW9										
10	Facsimile	ITEW10										
11	Telex	ITEW11										
12	Telephones	ITEW12										
13	Pay telephones	ITEW13										
14	Cordless telephones	ITEW14										
15	Cellular telephones	ITEW15										
16	Answering systems	ITEW16										
B	**Consumer electrical and electronics:**											
17	Television sets (including sets based on (Liquid Crystal Display and Light Emitting Diode technology)	CEEW1										
18	Refrigerator	CEEW2										
19	Washing Machine	CEEW3										
20	Air-conditioners excluding centralised air conditioning plants	CEEW4										
21	Fluorescent and other Mercury containing lamps	CEEW5										

IndiaCode

5. Estimated generation of Electrical and Electronic Equipment waste item-wise and estimated collection target for the forthcoming year in the form of Table 2 including those being generated from their service centres, as given below:

Table 2: Estimated generation of Electrical and Electronic Equipment waste item-wise and estimated collection target for the forthcoming year

Sr. No.	**Item**	**Estimated waste electrical and electronic equipment generation** **Number and weight**	**Targeted collection** **Number and weight**

6. Extended Producer Responsibility Plans:

(a) Please provide details of your overall scheme to fulfil Extended Producer Responsibility obligations including targets. This should comprise of general scheme of collection of used/waste Electrical and Electronic Equipment from the Electrical and Electronic Equipment placed on the market earlier such as through dealers and collection centres, Producer Responsibility Organisation, through buy-back arrangement, exchange scheme, Deposit Refund Scheme, etc. whether directly or through any authorised agency and channelising the items so collected to authorised recyclers.
(b) Provide the list with addresses along with agreement copies with dealers, collection centres, recyclers, Treatment, Storage and Disposal Facility, etc. under your scheme.

7. Estimated budget for Extended Producer Responsibility and allied initiatives to create consumer awareness.

8. Details of proposed awareness programmes.

9. Details for Reduction of Hazardous Substances compliance (to be filled if applicable):

(a) Whether the Electrical and Electronic Equipment placed on market complies with the rule 16 (1) limits with respect to lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominateddiphenyl ethers;

(b)Provide the technical documents (Supplier declarations, Materials declarations/Analytical reports) as evidence that the Reduction of Hazardous Substances (RoHS) provisions are complied by the product based on standard EN 50581 of EU;

(c) Documents required:
i. Extended Producer Responsibility plan;
ii. Copy of the permission from the relevant Ministry/Department for selling their product;
iii. Copies of agreement with dealers, collection centre, recyclers, Treatment, Storage and Disposal Facility, etc.;
iv. Copy of Directorate General of Foreign Trade license/permission as applicable;
v. Self-declaration regarding Reduction of Hazardous Substances provision;
vi. Any other document as required.

(Authorised signature)

Place: _____

Date: _____

FORM 1(a)

[See rules 4(2), 8 (2), 13(2) (ii), 13(2) (vi) and 13(4) (i)]

APPLICATION FOR OBTAINING AUTHORISATION FOR GENERATION OR STORAGE OR TREATMENT OR DISPOSAL OF E-WASTE BY MANUFACTURER OR REFURBISHER*

From:
.....
To
The Member Secretary,
..... Pollution Control Board or…… Pollution Control Committee
.....
.....
Sir,
I / We hereby apply for authorisation/renewal of authorisation under rule 13(2) (i) to 13(2) (viii) and/or 13 (4) (i) of the E-Waste (Management) Rules, 2016 for collection/storage/ transportation/ treatment/ refurbishing/disposal of e-wastes.

For Office Use Only

Code No. :
Whether the unit is situated in a critically polluted area as identified by Ministry of Environment and Forests (yes/no);

To be filled in by Applicant

1. Name and full address:
2. Contact Person with designation and contact details such as telephone Nos, Fax. No. and E-mail:
3. Authorisation required for (Please tick mark appropriate activity/ies*)
 (i) Generation during manufacturing or refurbishing* ☐
 (ii) Treatment, if any ☐
 (iii) Collection, Transportation, Storage ☐
 (iv) Refurbishing ☐

4. E-waste details:
 (a)Total quantity e-waste generated in MT/A
 (b) Quantity refurbished (applicable to refurbisher)
 (c) Quantity sent for recycling
 (d) Quantity sent for disposal

5. Details of Facilities for storage/handling/treatment/refurbishing:

6. In case of renewal of authorisation previous authorisation no. and date and details of annual returns:

Place : _____

Signature _____

(Name_____)

Date : _____

Designation: _____

IndiaCode

Note:-

(1) * The authorisation for e-waste may be obtained along with authorisation for hazardous waste under the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, if applicable.

(2) Wherever necessary, use additional sheets to give requisite and necessary details.

FORM 1 (aa)

[See rules 5 (6) and 13(1)(ii)]

FORMAT OF EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY - AUTHORISATION

[Extended Producer Responsibility Authorisation for Producer of the Electrical & Electronic Equipment]

Ref: Your application for Grant of Extended Producer Responsibility - Authorisation for following Electrical & Electronic Equipment under E-Waste (Management) Rules, 2016

1. Number of Authorisation:

Date:

2. **M/s. ----------** is hereby granted Extended Producer Responsibility - Authorisation based on:
 (a) overall Extended Producer Responsibility plan
 (b) proposed target for collection of e-waste
3. The Authorisation shall be valid for a period of ___ years from date of issue with following conditions:

 (i) you shall strictly follow the approved Extended Producer Responsibility plan, a copy of which is enclosed herewith;

 (ii) you shall ensure that collection mechanism or centre are set up or designated as per the details given in the Extended Producer Responsibility plan. Information on collection mechanism/centre including the state-wise setup should be provided;

 (iii) you shall ensure that all the collected e-waste is channelised to authorised dismantler or recycler designated as per the details. Information on authorised dismantler or recycler designated state-wise should be provided;

(iv) you shall maintain records, in Form-2 of these Rules, of e-waste and make such records available for scrutiny by Central Pollution Control Board;
(v) you shall file annual returns in Form-3 to the Central Pollution Control Board on or before 30th day of June following the financial year to which that returns relates;

(vi) General Terms & Conditions of the Authorisation:

a. The authorisation shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under;
b. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the Central Pollution Control Board;
c. Any change in the approved Extended Producer Responsibility plan should be informed to Central Pollution Control Board on which decision shall be communicated by Central Pollution Control Board within sixty days;
d. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the concerned State Pollution Control Boards and Central Pollution Control Board to close down the facility;
e. An application for the renewal of authorisation shall be made as laid down in sub-rule (vi) of rule of 13(1) the E-Waste (Management) Rules, 2016;
f. The Board reserves right to cancel/amend/revoke the authorisation at any time as per the Policy of the Board or Government.

Authorized signatory
(with designation)

To,
Concerned Producer
Copy to:
1. Member Secretary, Concerned State.
2. In-charge, concerned Zonal Office, Central Pollution Control Board.

IndiaCode

FORM 1(bb)

[See rules 4(2), 8(2)(a), 13(2) (iii) and 13(4)(ii)]

FORMAT FOR GRANTING AUTHORISATION FOR GENERATION OR STORAGE OR TREATMENT OR REFURBISHING OR DISPOSAL OF E-WASTE BY MANUFACTURER OR REFURBISHER

Ref: **Your application for Grant of Authorisation**

1. (a) Authorisation no. and (b) date of issue …….

2. ……..……of…….is hereby granted an authorisation for generation, storage, treatment, disposal of e-waste on the premises situated at…… for the following:
a. quantity of e-waste;
b. nature of e-waste.

3. The authorisation shall be valid for a period from …… to ……

4. The e-waste mentioned above shall be treated/ disposed off in a manner at

5. The authorisation is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.

Signature ----------
Designation ---------- Date: ----------

Terms and conditions of authorisation

1. The authorisation shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made thereunder.
2. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the concerned State Pollution Control Board.

3. Any unauthorised change in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorisation.
4. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the concerned State Pollution Control Board to close down the operations.
5. An application for the renewal of an authorisation shall be made as laid down in sub-rule (vi) of rule 13(2).

FORM-2

[See rules 4(4), 5(4), 6(5), 8(7), 9(2), 10(7), 11(8), 13 (1) (xi), 13(2)(v), 13(3)(vii) and 13 (4)(v)]

FORM FOR MAINTAINING RECORDS OF E-WASTE HANDLED OR GENERATED

Generated Quantity in Metric Tonnes (MT) per year

1.	Name & Address: Producer or Manufacturer or Refurbisher or Dismantler or Recycler or Bulk Consumer*		
2.	Date of Issue of Extended Producer Responsibility Authorisation*/ Authorisation*		
3.	Validity of Extended Producer Responsibility Authorisation*/ Authorisation*		
4.	Types & Quantity of e-waste handled or generated**	Category	Quantity
		Item Description	
5.	Types & Quantity of e-waste stored	Category	Quantity
		Item Description	
6.	Types & Quantity of e-waste sent to collection centre authorised by producer/ dismantler/recycler / refurbisher or authorised dismantler/recycler or refurbisher**	Category	Quantity
		Item Description	
7.	Types & Quantity of e-waste transported*	Category	Quantity
		Quantity	
	Name, address and contact details of the destination		
8.	Types & Quantity of e-waste refurbished*	Category	Quantity
		Item Description	
	Name, address and contact details of the destination of refurbished materials		
9.	Types & Quantity of e-waste dismantled*	Category	Quantity
		Item Description	
	Name, address and contact details of the destination		
10.	Types & Quantity of e-waste recycled*	Category	Quantity
	Types & Quantity of materials recovered	Item Description	
		Quantity	

IndiaCode

	Name, address and contact details of the destination		
11.	Types & Quantity of e-waste sent to recyclers by dismantlers	Category	Quantity
		Item Description	
	Name, address and contact details of the destination		
12.	Types & Quantity of other waste sent to respective recyclers by dismantlers/recyclers of e-waste	Category	Quantity
		Item Description	
	Name, address and contact details of the destination		
13.	Types & Quantity of e-waste treated & disposed	Category	Quantity
		Item Description	
	Name, address and contact details of the destination		

Note:-
(1) * Strike off whichever is not applicable.
(2) Provide any other information as stipulated in the conditions to the authorizer.
(3) ** For producers this information has to be provided state-wise

IndiaCode

FORM-3

[See rules 4(5), 5(5), 8(6), 9(4), 10(8), 11(9), 13 (1) (xi), 13(2)(v), 13(3)(vii) and 13(4)(v)]

FORM FOR FILING ANNUAL RETURNS

[To be submitted by producer or manufacturer or refurbisher or dismantler or recycler by 30th day of June following the financial year to which that return relates].

Quantity in Metric Tonnes (MT) and numbers

1	Name and address of the producer or manufacturer or refurbisher or dismantler or recycler			
2	Name of the authorised person and complete address with telephone and fax numbers and e-mail address			
3	Total quantity of e-waste collected or channelised to recyclers or dismantlers for processing during the year for each category of electrical and electronic equipment listed in the Schedule I (Attach list) by PRODUCERS			
	Details of the above	TYPE	QUANTITY	No.
3(A)*	BULK CONSUMERS: Quantity of e-waste			
3(B)*	REFURBISHERS: Quantity of e-waste:			
3(C)*	DISMANTLERS: i Quantity of e-waste processed (Code wise); ii. Details of materials or components recovered and sold; iii. Quantity of e-waste sent to recycler; iv. Residual quantity of e-waste sent to Treatment, Storage and Disposal Facility.			

3(D)*	RECYCLERS: i. Quantity of e-waste processed (Code wise); ii. Details of materials recovered and sold in the market; iii. Details of residue sent to Treatment, Storage and Disposal Facility.			
4	Name and full address of the destination with respect to 3(A)-3(D) above			
5	Type and quantity of materials segregated or recovered from e-waste of different codes as applicable to 3(A)-3(D)	Type	Quantity	

✔ Enclose the list of recyclers to whom e-waste have been sent for recycling.

Place_____
Date_____ **Signature of the authorised person**

Note:-

(1) * Strike off whichever is not applicable.
(2) Provide any other information as stipulated in the conditions to the authorizer.
(3) In case filing on behalf of multiple regional offices, Bulk Consumers and Producers need to add extra rows to 1 & 3(A) with respect to each office.

IndiaCode

FORM-4

[See rules 13(3)(i) and 13(3)(vi)]

APPLICATION FORM FOR AUTHORISATION OF FACILITIES POSSESSING ENVIRONMENTALLY SOUND MANAGEMENT PRACTICE FOR DISMANTLING OR RECYCLING OF E-WASTE

(To be submitted in triplicate)

1.	Name and Address of the unit			
2.	Contact person with designation, Tel./Fax			
3.	Date of Commissioning			
4.	No.of workers (including contract labour)			
5.	Consents Validity	a. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Valid up to _____ b. Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; Valid up to_____		
6.	Validity of current authorization, if any	e-waste (Management & Handling) Rules, 2011; Valid up to _____		
7.	Dismantling or Recycling Process	Please attach complete details		
8.	Installed capacity in MT/year	Products	Installed capacity (MTA)	
9.	E-waste processed during last three years	Year	Product	Quantity
10.	Waste Management:			

	a. Waste generation in processing e-waste	Please provide details material wise
	b. Provide details of disposal of residue.	Please provide details
	c. Name of Treatment Storage and Disposal Facility utilized for	
11.	Details of e-waste proposed to be procured from re-processing	Please provide details
12.	Occupational safety and health aspects	Please provide details
13.	Details of Facilities for dismantling both manual as well as mechanised:	
14.	Copy of agreement with Collection Centre	
15.	Copy of agreement with Producer	
16.	Details of storage for dismantled e-waste	
17.	Copy of agreement with Recycler	
18.	Details of Facilities for Recycling	
19.	Copy of agreement with Collection Centre	
20.	Copy of agreement with Producer	
21.	Details of storage for raw materials and recovered materials	

IndiaCode

II. In case of renewal of **authorisation, previous registration or authorisation no. and date**

I hereby declare that the above statements or information are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature

Place:_____ Name:_____

Date:_____ Designation:_____

Form-5

[See rule 18 (1)]

FORM FOR ANNUAL REPORT TO BE SUBMITTED BY THE STATE POLLUTION CONTROL BOARD TO THE CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

To,

The Chairman,
Central Pollution Control Board,
(Ministry of Environment and Forests)
Government of India, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar,
Delhi-110 032

1.	Number of authorised manufacturer, refurbisher, collection centre, dismantler and recycler for management of e-waste in the State or Union territory under these rules	:	
2.	Categories of waste collected along with their quantities on a monthly average basis:	:	Please attach as Annexure-I
3.	A Summary Statement code-wise of e-waste collected	:	Please attach as Annexure-II

4.	Details of material recovered from recycling of e-waste	:	
5.	Quantity of CFL received at Treatment, Storage and Disposal Facility	:	
6.	The above report is for the period from ……to……		

Place: _____

Date: _____

Chairman or the Member Secretary
State Pollution Control Board

Form-6

[See rule 19]

E-WASTE MANIFEST

1.	Sender's name and mailing address (including Phone No.) :	
2.	Sender's authorisation No, if applicable. :	
3.	Manifest Document No. :	
4.	Transporter's name and address : (including Phone No.)	
5.	Type of vehicle :	(Truck or Tanker or Special Vehicle)
6.	Transports registration's No. :	
7.	Vehicle registration No. :	
8.	Receiver's name & address :	
9.	Receiver's authorisation No, if applicable. :	
10.	Description of E-Waste (Item, Weight/ Numbers) :	
11.	Name and stamp of Sender* (Manufacturer or Producer or Bulk Consumer or Collection Centre or Refurbisher or Dismantler): Signature: Month Day Year	
12.	Transporter acknowledgement of receipt of E-Wastes	
	Name and stamp: Signature: Month Day Year	
13.	Receiver* (Collection Centre or Refurbisher or Dismantler or Recycler) certification of receipt of E-waste	
	Name and stamp: Signature: Month Day Year	

* As applicable

Note:-

Copy number with colour code **(1)**	**Purpose** **(2)**
Copy 1 (Yellow)	To be retained by the sender after taking signature on it from the transporter and other three copies will be carried by transporter.

IndiaCode

Copy 2 (Pink)	To be retained by the receiver after signature of the transporter.
Copy 3 (Orange)	To be retained by the transporter after taking signature of the receiver.
Copy 4 (Green)	To be returned by the receiver with his/her signature to the sender

FORM 7

[See rule 22]

APPLICATION FOR FILING APPEAL
AGAINST THE ORDER PASSED BY CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD/STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Name and address of the person making the appeal :
2. Number, date of order and address of the authority to which passed the order, against which appeal is being filed. : (certified copy of the order be attached)
3. Ground on which the appeal is being made :
4. Relief sought for :
5. List of enclosures other than the order referred in point 2 against which the appeal is being filed. :

Signature…….

Name and address…….

Place:

Date:

IndiaCode

[F. No. 12-6/2013-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.